

MR. DEPUTY-SPEAKER: What does Mr. Madhu Limaye want? Why should members be so excited? I have called Shri Shankar Dayal Singh.

श्री नवनिधि (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक चलूरी बात कहने के लिए दो मिनट दे दीजिए। यह सभी लोगों के हित में है।

अध्यक्ष महोदय, आप शांति से दो मिनट मेरी बात सुनेंगे तो अच्छा होगा। मैं दो मिनट में ही खत्म करूँगा। इन दिनों में हमारे देश में “हमारा जो मित्र राष्ट्र सोवियत यूनियन है उस के एक बड़े नेता यहां आए हुए हैं। हम सभी विरोधी दल के लोग उस के आगमन का स्वागत करते हैं। इस में कोई दो राय नहीं हैं कि भारत और रूस के बीच में दोस्ताना रिश्ता हो और वह रिश्ता बढ़े। लेकिन इस बात पर मुझे अफसोस है कि उन के स्वागत के लिए जो सिटिजेन्स कमेटी बनाई गई उस में मेरर, वाइस प्रेसीडेंट या अध्यक्ष महोदय को अध्यक्ष बनाने के बजाय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बनाया गया। ब्रेजेनेव साहब की मुलाकात केवल कांग्रेस पार्टी के नेता से कराई गई... (व्यवधान) ... देखिये आप लोग हल्ला मत करिए, मुझे चिढ़ाइए मत। मैं कोई अनुचित बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी की दावत पर ये आए हैं तो मुझे एक अक्षर नहीं कहना है। लेकिन अगर देश की सरकार की ओर से उन को दावत दी गई है और एक देश के नेता के नाते उन को बुलाया गया हैं तो इस सिटिजेन्स कमेटी में सभी विरोधी दलों को सम्मिलित करवाने का प्रयास होना चाहिए था। वह नहीं हुआ

प्रधान मंत्री को खुद इस बात की कोशिश करती चाहिए थी कि विरोधी दल के जो लोग उन से मिलना चाहते हैं, उन को वह मिलवातीं खास कर के उन दलों को जो इस में विश्वास करते हैं कि दोस्ताना रिस्ता हो। तो आज मजबूर हो कर आप के मार्फत मैं यह वानिंग देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर हम लोग प्रोटोस्ट न करें तो सरकार को इस के बारे में सफाई देनी चाहिए। मैं फिर एक बार यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय ब्रेजेनेव साहब आए हैं, उन के खिलाफ कोई अनादर की बात मैं नहकह रहा हूँ। लेकिन सरकार ने पार्टी और सरकार को मिलाने का और अपने को राष्ट्र के साथ ईक्वेट करने का जो प्रयास किया है उस के खिलाफ हम रोष प्रकट करना चाहते हैं और इन बातों को आप प्रधान मंत्री के कानों तक पहुँचाइए।

14.24 hrs.

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL—contd.

श्री शंकर दयाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम लोगों के सामने इंडियन रेलवेज अमेंडमेंट बिल आया है उस में 20 हजार से मुआवजे की राशि एक्सीडेंट के मामले में 50 हजार करते कसिफारिश की है। जहां तक रुपए पैसे का मामला है, हमारे मेरे रेल मवी इस में खुद ही उदार हैं। “इसलिए पचास हजार रुपए की राशि जो कि की जा रही है यह सही है, दुरुस्त है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्दगी का कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता। आप

[श्री शंकर दयाल सिंह]

लाख और करोड़ रुपए से किसी की जिन्दगी को कम्पेन्सेट नहीं कर सकते। कारण कि जिन्दगी आदमी की अनमोल चीज होती है, उसे पैसे से नहीं तौला जा सकता। इसलिए हमें इस में जाना पड़ेगा कि ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और कैसे इन्हें रोका जा सकता है? इन का कारण क्या है और इन का निराकरण क्या है?

मैं ने जैसा कि शुरू में कहा 71-72 में 4950 रेल दुर्घटनाएं हुईं जिस में 2619 व्यक्ति हताहत हुए। इस के अगर कारण में हम जायं तो यह पता चलेगा कि रेलवे कर्मचारी इस के लिए सब से अधिक जवाबदेह हैं। रेल में अनुशासनहीनता है। इस समय रेल में इस तरह की अनुशासनहीनता कि मैं ममझता हूँ कि देश के और किसी भी अंग में वैसी अनुशासनहीनता नहीं होगी। गाड़ियों का लेट चलना, चलते चलते रुक जाना, लाइट और पंखे का फेल हो जाना मामूली बातें हैं। अभी हाल में 27-11-73 को परसों ही मेरे एक प्रश्न के जवाब में श्री कुरेशी साहब ने कहा कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगस्त 1973 में 579 गाड़ियां ठीक समय पर आई और 827 गाड़ियां लेट आई। सितम्बर 1973 में 990 गाड़ियां ठीक समय पर आई और 684 गाड़ियां लट आई। अक्टूबर 1973 में 1091 गाड़ियां समय पर आई और 668 गाड़ियां लेट आई। दिल्ली जंकशन पर अगस्त 1973 में 698 गाड़ियां ठीक समय पर आई, 1115 गाड़ियां लेट आई। सितम्बर 1973

में 1059 गाड़ियां समय पर आई और 1297 गाड़ियां लेट आई। अक्टूबर 1973 में 1127 गाड़ियां ठीक समय पर आई और 1255 गाड़ियां लेट आई।

देर से आने का और दुर्घटनाओं का आखिर कारण क्या है और आप ने इन के निराकरण के लिए क्या किया? मेरी तो शिकायत, मेरा तो रोना यही है। मेरा तो आप से निवेदन यही है कि क्यों नहीं आप दुर्घटनाओं में और लेट के कारणों में जाते हैं और क्यों नहीं उसे दूर करते हैं जिस से कम्पेन्सेशन की भी यह राशि बच जाय।

कल इसी सदन में हम लोगों ने कार्लिंग अटेंशन पर विचार किया और यह सुना कि जो दुर्घटना हुई है उस में पुलिस वॉले, पी० ए० सी० के जवान मारे गए। आप की फिरसे के अनुसार विगत तीन वर्ष के अंदर 142 व्यक्ति रेलवे क्रांसिंग की दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। आप ने अभी एक दो दिन पहले राज्य सभा में कहा है कि क्रांसिंग पर जो दुर्घटनाएं होंगी उन का कम्पेन्सेशन रेलवे नहीं देगा जबकि आप ने खुद स्वीकार किया है कि 1971-72 में 38 दुर्घटनाएं क्रांसिंग पर हुई थीं जिस में 18 के लिए रेल कर्मचारी दोषी पाए गए हैं और 1972-73 में ऐसे फाटकों पर दुर्घटनाओं की संख्या 43 रही जिस में रेल कर्मचारियों को 22 के लिए दोषी ठहराया गया। तो रेल कर्मचारियों के दोष से अगर किसी की जान जाती है तो इस के लिए जवाबदेह कौन होगा? रेलवे होगी या जनता होगी जिस से आप

सरचार्ज के पेसे लेने जा रहे हैं जो लोग
 मैंने उन को कम्पन्सेशन तो आप बाद में देंगे
 लेकिन जनता सरचार्ज से पहले ही मर जायेगी।
 एक तो जनता पहले ही परेशान है ऊपर
 से यह 5 पैसे से लेकार 150 पैसे तक का
 भार आप उस पर और लाद रहे हैं, उससे
 जनता का शोषण और बढ़ जायेगा। इसलिए
 सरचार्ज को आप हटा दें और दुर्घटनाओं को
 रोकें जिस से कि आप को कम्पन्सेशन ही न
 देना पड़े। मेरे एक प्रोफेसर भानुब एक वार
 गाड़ी से जा रहे थे। गास्टे में दुर्घटना हो गई।
 जब लौट कर के आए तो हम ने पूछा कि वह
 आप गाड़ी थी या डाउन थी, पूरब या
 रही थी या पश्चिम जा रही थी? तो कहा
 न पूरब जाने वाली थी न पश्चिम जाने वाली
 थी, व गाड़ी जहानुम जाने वाली थी।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री मुहम्मद
 शफी कुरेशी) : आप उस में थे?
 श्री शंकर दयाल सिंह : मैं रहता तो
 बोलने के लिए बचता। मैं भी कम्पन्सेशन
 ले लेता

मेरा कहना है कि कोई आदमी जो
 गाड़ी पर बैठे उसे यह एहसास न हो कि हम
 यहाँ से पटना पहुँचेंगे या नहीं, कलकत्ता
 पहुँचेंगे या नहीं, इसलिए मैं मानवीय रेल
 मंत्री से और उप मंत्री से यह कहना चाहूँगा
 कि रेलवे में दुर्घटनाये नहों इसकी ओर
 आप ध्यान दें। जो सरचार्ज आप ने बड़ाया
 है उस के ऊपर प्रश्निक न कह कर परिस्क
 की प्रतिक्रिया उस के बारे में क्या है वह
 आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह नव
 भारत डॉइस्ट आज का है उस में लिखा
 है।

“सरकार ने रेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों
 के लिए मुआवजे की राशि में ढाई गुना वृद्धि
 की है। इस वृद्धि और रेलवे की अदायगी—
 स्थिति के बीच तालमेल बैठाने के उद्देश्य
 से अब वह रेल यात्रियों पर पांच पसं
 से लेकर 150 पैसे तक का अतिरिक्त
 बोझ चालना चाहती है। रेलवे में अधि-
 कांश दुर्घटनाएं मानवीय कारणों से होती
 हैं। रेल उपमंत्री का विचार शायद यह
 है कि जब धोबी अपनी धोबन पर नियंत्रण
 नहीं कर सकता तब गधे पर अतिरिक्त
 बोझ लादने के सिवाय उसे के पास और
 चारा भी क्या?

यह अखबारों की राय है। इसलिए
 मैं उन से खास तीर से निवेदन करना
 चाहता हूँ, रेल मंत्री तो आए नहीं, कल
 भी न आए, आज भी नहीं आए, पता नहीं
 परसों आए थे या नहीं। बेचारे बहुत
 काम में लगे हुए हैं, लेकिन मैं यह कहना
 चाहता हूँ कि ऐसा उथाय होना चाहिए जिस से
 दुर्घटना न हो और कोई मरे नहीं ताकि
 कम्पन्सेशन भी न देना पड़े। जो हमारे
 सामने बिल आया है अगर एक लाख
 की भी रकम रहती तो भी मैं इसका
 रवागत करता। क्योंकि किसी की
 जान जाती है, उस के बदले आप कुछ
 नोटों का पुलिन्दा देते हैं जिन का कि बहुत
 कम बजन रहा गया है। अभी कल ही
 आया था कि रुपये की कीमत 36 पैसे
 रह गई है। मैं उसका भी स्वागत
 करता हूँ, लेकिन भान्डवा 50 हजार की
 जो राशि रखी गई है, उस का स्वागत
 करते हुए यही कहूँगा —आप ऐसा कीजिये

[श्री शंकर दयाल सिंह]

जिस से दुर्घटनायें न हों अन्य विभागों के मुकाबले रेल विभाग में दुर्घटनायें बढ़ रही हैं, पता नहीं इस का क्या कारण है, इस का छोर आकाश में है या पाताल में, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ रेलवे में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, दुर्घटनायें बढ़ रही हैं, चोरी बढ़ रही हैं, अन्य कई दुर्बलताओं का शिकार रेलवे हो रही हैं।

एक बात मैं ज़रूर कहूँगा—अगर ऐसे ही कम्पनेसेशन देना चाहते हैं तो फिर टिकट पर कम्पलसरी इशोरस क्यों नहीं दे देते? जो पांच पैसा आप लते हैं, उस पर कम्पलसरी इशोरेंस दे दीजिये, याकी जो इस से गारन्टी मिल जायगी।

एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ—आप मरने पर मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन गड़ियों के लेट चलने के कारण जो काम में हर्जा होता है, उस का मुआवजा कौन देगा? इस के बारे में भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि—

वह जब लेट होती है तब हम बेट करते हैं।

हम जब लेट होते हैं तो गाड़ी छूट जाती है।

कल आजाद सहब न एक मेल ट्रेन का जिक्र किया था, मैं भी उस के साथ ताल-मेल बैठते हुए आप से अनुरोध करना चाहूँगा— यह जो फरक्का, आसाम और अरण्णाचल, इन सब के लिये मेल ट्रेन की बात चल रही है, कृपा कर उस को स्वीकार कर लें।

इन शब्दों के साथ मैं श्री ज्योतिर्मय बसु साहब को भी धन्यबाद देना चाहता हूँ—इतनी रगड़ के बाद उन्होंने मुझे समय दिया।

श्री वसंत साठे (अकोला): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, मैं इस का स्वागत करता हूँ—ट्रैनें ज़रूर देर से चलती हैं, लेकिन यह बिल ज्यादा देर से नहीं आया। जहां तक 50 हजार रुपये के मुआवजे की बात है अगर इस को एक लाख रखते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है— इनको यह सूझ कहां से आई, जब इन्होंने देखा कि इण्डियन एयर लाइन्स ने 1 लाख रुपया मुआवजा रखा है तो इन्होंने सोचा, रेल में भी मुआवजा बढ़ाना चाहिये। जब यह सूझ इण्डियन एयर लाइन्स से आ ही गई, तो फिर इस को पचास हजार क्यों रखा, एक लाख रुपया देना क्यों नहीं तथ किया? क्या रेल में मरने वाले आदमी की जान और हवाई जहाज में मरने वाले आदमी की जान में कोई फर्क है? रेल में जो मरेगा, उस के डिपेन्डेंट्स को यह रुपया मिलेगा— जो मरने वाला है, उस की तो छुट्टी हो गई, वह तो रुपया आयेगा नहीं उस के कुटुम्बी को मिलेगा और रेलों में चलने वाले ज्यादातर शरीर लोग होते हैं। उन को अगर एक लाख रुपया मुआवजा मिलता है तो उनकी ती जिन्दगी सुधर जायगी, लेकिन हवाईजहाज में चलने वाले ज्यादातर अभीर होते हैं, वे तो पहले से ही काफ़ी इन्सोर्ड होते हैं, अगर उन के कुटुम्बी को एक लाख रुपया मिलेगा तो पैसे के पास पैसा जायगा। ज्यादा अच्छा होगा अगर अप इस पर फिर से विचार करें, मुआवजा एक

लाख रुपया किया जाय। आप कहेंगे बोझ बढ़ जायगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) एक लाख रुपया कर दगड़े या मरने का समय बतला दें ताकि हवाई जहाज में चढ़ें।

श्री दक्षन्त साठे : हवाई जहाज में तो तब चढ़ पायेंगे जब सीट मिलेगी।

इन्होंने कहा है कि इस पर ढाई करोड़ रुपया खर्च होने वाला है, इस लिए इस बिल के द्वारा एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हैं। एक तरफ खीसे में हाथ डाल कर लोगों को यह कहा जा रहा है कि यह सरचार्ज अभी नहीं ले रहे हैं, रुल्ज में जो पावर है, उस के द्वारा यह सचार्ज बाद में लगा देंगे। यह तो बड़ा अन्याय हो जायगा। आप के कहने के मताबिक यह ढाई करोड़ रुपया का सवाल है और हमारे सुझाव के मुताबिक यह पांच करोड़ रुपये का सवाल है, यह आपने यहां से क्यों नहीं निकालते—आप जरा एकिशियन्सी बढ़ा दीजिये—इतना—रुपया आसानी से निकल आयेगा। आप की बैगन्ज एक जगह जाकर महीनों पड़ी रहती है उन कों ठीक से चलाइये। ट्रैक्स लेट चलती है, जिस से उनकी रौलिंग कम हो जाती है, उन को टाइम पर चलाइये। समय पर चलाने के लिए आप आपने ब्राइवर्स और कन्फक्टर्स को कोई इन्सेन्टिव दीजिये, जिस की गाड़ी इम पर चलेगी और टाइम पर पहुंचेगी, उसको पावर-टाइम मिलेगा, इससे आप को ज्यादा कायदा होगा। यहां पर समय पर आने के लिये बहुत जोर दिया जा रहा है, पांच बन्टे बाड़ी लेट हो जाती है, ऐसे तो पांच बन्टे लेट ही आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ

पांच साल पहले ही चले गये तो फिर क्या कायदा हुआ, इसलिये रेलों पर भरोसा भत रखिये। यह भी कहा गया है कि समय पर आयेंगी तो एक्सीडेन्ट्स की तादाद बढ़ जायगी। यह आपनी एकिशियन्सी का नमूना है—लोगों को आप की एकिशियन्सी पर शक हो गया है। इसलि एकिशियन्सी की बढ़ाने की कोशिश कीजिये।

आप जो सरचार्ज लगाना चाहते हैं, उस के बारे में मेरा सुझाव है कि इस को इशोरेंस का रुच दीजिये और उधर मुआवजे की रकम बढ़ा कर एक लाख कर दीजिये : इस से गरीब ट्रैक्लर्ज को भराता हों जायेगा, दूसरी तरफ इशोरेंस कम्पनी को पैसा मिलेगा और आपको भी इसमें लोई परेशानी नहीं होगी। आप इस पर विचार कीजिये, मेरा झ्याल है कि इस से लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी, उन को पैसा देने में एतराज नहीं होगा और आप भी एक लाख रुपया आसानी से दे सकेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I do not know how long the House or the Government want the debate on this Bill to go on. We have far exceeded the time and I do not think any new light is being shed. Only three points have been repeated by all the hon. Members, namely, the amount of compensation should be raised, the surcharge is objectionable and so the Government should meet the compensation by economising its expenditure and accidents should be reduced or eliminated. A new point has been made just now about having insurance. Shall we go on repeating these points.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur) : If these points have gone home to the Minister, we shall stop.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think the Deputy Minister is one of a few

who, I think, are intelligent and articulate. I think it has more than gone home to him.

SHRI VASANT SATHE: If his mind is also as late as the trains then we will be in difficulties.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I agree with most of the points made by the hon. Members. Those points which needed to be emphasized have already been well expressed here. But I want to repeat these points at least for one important reason, namely, unless the Government are repeatedly told about the obvious, they will not be persuaded to accept some of these valid points. If compensation for air accidents is Rs. 100,000, there is no reason why there should be less compensation for accidents in railways because under our Constitution all our citizens are equal.

I want to suggest two or three other new points. It is good to see that the Ministers and the Government are occasionally responding to criticism inside and outside Parliament, because the Minister said that it is on account of criticism that he has brought forward this Bill. In that reasoning he has also mentioned one factor, among other things, namely, the increased cost of living. I am glad this point has been brought home to the Minister and to the Government. So, I want to ask what prevents the Government, particularly the Ministry of Railways, from giving the legitimate dues to only a few thousand retired railwaymen, railway pensioners, who are not given a minimum pension of Rs. 40, which they have been demanding for years?

MR. DEPUTY-SPEAKER: How do pensioners come in this Bill, unless you say that they are involved in accidents?

AN HON. MEMBER: It is a new point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It should be a new point within the scope of the Bill.

SHRI P. G. MAVALANKAR: I say it is relevant because the Minister has said in his Statement of Objects and Reasons that he is amenable to the factor of the increased cost of living. If he is amenable to the increased cost of living for those who are dead, then my question is, what about those who are living? The point needs to be looked into by the Railway Minister carefully and sympathetically because it concerns only a few thousand people and some of them are very old, above 80 years. They are very much alive; let them get their due share.

Then, in my home city of Ahmedabad, not once, not twice, not thrice, but several times, right in the city of Ahmedabad itself, several lives have been lost on account of unmanned gates at the railway crossings, particularly, near the Shreyas High School. You, Mr. Deputy-Speaker, Sir, will be shocked to know that as recent as in September this year, one young married lady going to the Shreyas High School to collect her child met with an accident because there was no manned gate there. She met with instantaneous death. The train was late by 4 hours. She never expected that at that time the train was going to pass by. She tried to cross the line. But the train came so fast—it was trying to cope up for the loss of time—that she died instantaneously and she and the car were driven 500 yards away along with the railway engine. This happened right in the city of Ahmedabad.

My hon. friend, Shri Madhu Limaye, who spoke yesterday on the Calling Attention mentioned that there were 21,000 unmanned railway crossings. I ask: Is this the priority that the Government is giving? Even cities are not looked after. What to talk about far-off distant rural areas where nobody bothers. Therefore, I suggest—I hope, it is a new point—that unmanned crossings need to be looked after urgently. Let the Government accelerate their pace and programme of having all manned crossings so that these avoidable accidents can be avoided.

Lastly, I would like to, along with other Members, lodge a protest against Government's intention to raise additional amount by way of surcharge. There are many ways of having this revenue if only the Railways were to look into their own avoidable and needless luxurious expenditure. A good deal of it is on account of the Railway Board itself. We want in this House some information about the Railway Board. It is surprising how many Directors, Joint Directors, Deputy Directors, Assistant Directors and the whole paraphernalia of staff functioning under them are there in the Railway Board. What I am suggesting is that a lot of money is being spent on this super-bossism and on the officers of the Railway Board. I am not saying, you scrap the Railway Board altogether. But at least you go into the question and try to see where you can save in your expenditure and do it.

As a clarification, I am glad to say that after repeated requests, the Railway authorities have ultimately given a manned gate at the railway crossing near the Shrevas High School in Ahmedabad but not before several innocent lives were lost. I hope, this will not be repeated in other parts of the country, whether in cities or in rural areas.

प्रो० नरयण चन्द्र पाण्डाशर
(हमीरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये बड़ा हुआ हूँ। यह बहुत ही उचित कदम है जोकि बहुत देर के बाद उठाया जा रहा है क्योंकि मरने वालों को जो अति देनी है उस में अगर सालों बीत जायें और कितना कम्पेन्शन मिलना चाहिये, कम मिलना चाहिये या ज्यादा मिलना चाहिए और वह जो मुश्वावज्ञा है वह मरने वाले की अनिंग कैपेसिटी, कमाने की क्षमता से सम्बन्धित हो तो वह बहुत अटपटी सी बात लंगती है। इसलिए एक संशोधन के द्वारा यह जो बात की जा रही

है कि अब जो मुश्वावज्ञा मिलेगा वह मरने वाले की अनिंग कैपेसिटी, कमाने की क्षमता से लियक नहीं होगा परन्तु इन्जरी और डेथ के आधार पर होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और उसका मैं स्वागत करता हूँ।

इसके पश्चात् जहां तक मृत्यु का प्रश्न है, मरने वाले के लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं वह चाहे वायुयान की दुर्घटना में मरे या रेलवे की दुर्घटना में मरे इसलिए यह अत्यावश्यक है कि इस बारे में कोई भेदभाव न रखा जाये और रेल मंत्रालय भी अपने आप को उसी स्तर पर ले आये जो इंडियन एयरलाइंस का आज स्तर है। यदि रेल मंत्रालय अनुभव करता है कि उसके रिसोर्सेज कम हैं, रेलवे के पास धन नहीं है तो मैं सुझाव दूगा कि धन के लिए अपने कार्य-कलापों में, अपने कुल कार्यकर्तमों में कटौती करे या किसी किसम की एकोनोमी करने की बात संचें और मरने वालों को वही मुश्वावज्ञा दिया जाये जोकि एयर लाइंस के एक्सीडेंट्स में मिलता है। एक लाख की राशि यदि एयर लाइंस के एक्सीडेंट्स के लिए ठीक है तो रेलवे की दुर्घटनाओं के लिए भी ठीक है।

एक बात सुझे और भी कहर्नी है। पहले रेलवे में 20 हजार की धनराशि इसके लिए थी, कि हर मरने वाले को वह राशि मिलेगी लेकिन आज तक किसी को भी इतनी राशि मिली नहीं। मेरी जानकारी है कि बहुत कम केसेज में ही दस हजार से ऊपर किसी को मिला है और वह भी वड़ी लम्बी-चीड़ी फिल्ह-फँड़ी के बाद। इसलिए देखने की बात यह है कि रेल मंत्रालय इस बात का आश्वासन दे सकत को कि दुर्घटना के तुलना बाद पेसेन्ट है ताकि अदायगी होगी और दूसरे भूजों जेवें के कम्पेन्शन में उस को भी मिला दिया जायेगा।

[प्रो० नारायण चन्द्र पाराहर]

इसके साथ ही यहां पर जो सुझाव दिया गया है उसका मैं भी समर्थन करता हूँ कि अनमेन्ड और मैन्ड, दोनों ही प्रकार की रेलवे कार्सिंग पर यदि रेलवे द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस को भी दुर्घटना माना जाये उसको भी वही क्षति मिलनी चाहिए जौंकि दो गाड़ियों की टक्कर में मरने वालों को मिलेगी। यह तो अन्यायपूर्ण है कि इस एक आदमी जो गाड़ियों की टक्कर में मर जाये उस को तो कम्पेन्सेशन दे दें लेकिन जो फाटक बन्द न होने की बजाए से वहां से गुजरते हुए रेलवे कर्मचारियों की गलती से मारा जाये, उसको दुर्घटना में न शामिल किया जाये और कोई कम्पेन्सेशन न दिया जाये। इसलिए मैं इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि अनमेन्ड या मैन्ड रेलवे कार्सिंग पर जो दुर्घटनायें हों उनको भी उसमें शामिल किया जाये और उनको भी उसी प्रकार से क्षतिपूति की जाये।

इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाये कि किसी को इस प्रकार की इन्जरी हो जाये, वह काम करने के काबिल न रह जाये, वह यदि रेल कर्मचारी है तो उसके बच्चों की शिक्षा का प्रीबिन्व रेल मंत्रालय अपने रकूलों में करे और यदि वे साधारण जनता के लोग हैं तो उनके लिए किसी स्टाइपेन्ड की व्यवस्था की जाये। इस बात का ध्यान रखा जाये कि जिसको क्षति हुई है उसकी अनिंग कैपेसिटी कम होने के कारण उसके परिवार पर बोझ न पड़। इन सुझावों के साथ मैं रेल मन्त्री मिश्रा जी और कुरेशी साहब को बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि इस राशि को एक लाख कर दें ताके वह एपर लाइन्स के बराबर हो जाये।

श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष जी, इस विधयक में जो मुआवजा देने की व्यवस्था है उसको सभी सदस्य र्वीकार

करते हैं, स्वागत करते हैं लेकिन यहां पर इस बात की मांग की गई कि रेलवे की दुर्घटना और हवाई जहाज की दुर्घटना में जो फक्त रखा गया है उको समाप्त कर दिया जाये, रेलवे में भी एक लाख का मुआवजा रखा जाये, मेरा ख्याल है हमारे रेल उपमंत्री उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और जो भी सलाह मणिवरा करना होगा वह करके आज उस पर अंतिम निर्णय यहां पर बता देंगे।

दूसरी बात यह है कि इसमें जो ५ पैसे सरचार्ज लगाने का ब्लैकेट अधिकार ले रहे हैं वह संसद सदस्यों के साथ अन्याय है। उनको साफ साफ कहना चाहिये कि ५ पैसे किस पर लगाना चाहते हैं, इसमें साफ साफ व्यवस्था होनी चाहिए कि कितने पैसे का सरचार्ज किस दर्जे के धात्री पर लगाना चाहते हैं? पहले दर्जे के धात्री पर लगायेंगे या तीसरे दर्जे के धात्री पर लगायेंगे?

अगर सत्तर लाख प्रति दिन धात्री भी धात्रा करते हैं और आप पांच पांच पैसा सरचार्ज का लेते हैं तो मेरा अनुमान है कि इसमें आप के पास दस करोड़ रुपये से अधिक आ जायेंगे। खबर जो आप का होगा डाइकरोड़ का है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से आप अधिक पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं दुर्घटनाओं में मरने वालों को मुआवजा देने के नाम पर। इस बाते इसका हम विरोध करते हैं। यह सरचार्ज किस तरह से लगेगा, कब से लगेगा, अच्छा होता इसको भी इसी बिल में जोड़ दिया जाता।

सुझाव दिया गया है कि पूप इनश्योरेंस हो। मैं समझता हूँ कि यह सुझाव भी बहुत अच्छा है। इस पर विचार होना चाहिये। गम्भीरता से इस प्रेर विचार वह करें। ऐसा न हो जैसा आम तौर पर होता है कि कह दिया जाता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं।

दुर्घटनाओं के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं और जांच के बाद जिन को दोषी पाया जाता है, उनको किसी तरह की सजा नहीं मिलती है कभी भी। जहां साफ साफ जांच के बाद यह साचित भी हो जाता है कि अमुक आदमी की लापरवाही थी तो इसके बास्ते उसको बँड अवश्य दिया जाना चाहिये फिर चाहे वह पदोन्नति उसको न दे कर हो या उसकी तरक्की बन्द करके हो। जब सजा नहीं होगी तो इसका नतीजा यह होगा कि लापरवाही बढ़ेगी।

जहां यह सरचार्च लगाया जा रहा है वहां यह भी देखा जाना चाहिये कि गाड़ियां समय पर चलें। खास तौर से मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि पूर्व की ओर से जितनी भी गाड़ियां आती हैं, कोई भी समय पर नहीं आती है, 365 दिन यही देखने को मिलता है। कोई ट्रेन 12 घंटे और कोई 18 घंटे लेट होती है और कभी कभी तो यह भी पता नहीं चल पाता है कि यह आज आने वाली ट्रेन है या कल जो प्रानी थी, वह यह ट्रेन है। मैं समझता हूँ कि मन्त्रियों को और अधिकारियों को समय पर गाड़ी जो नहीं लाते हैं उनको बँड देने की व्यवस्था करनी चाहिये। यह लोगों के समय की भारी बरबादी है। कोई आज यह देखने वाला नहीं है कि ट्रेन समय पर आ रही है या नहीं आ रही है कोई परवाह इसकी नहीं होती है। खास तौर से एक साल से यह चीज देखने मैं आ रही है। गाड़ियां लेट होने का क्रम बढ़ता चला जा रहा है।

रेल मंत्रालय हो या रेलवे बोर्ड हो ऐसा मालूम होता है कि मध्य प्रदेश की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। मध्य प्रदेश के नक्शे को आप देखें। वहां कोई रेलवे लाइन ही नहीं है। उसके अतिकरण को आप देखें, वहां से यहां आने के लिए कोई सीधी ट्रेन ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एहं भेल ट्रेन यहां से बिलास-पुर, रायपुर, गिया भोपाल होते हुए डायरेक्ट री जानी चाहिये।

श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी (हमीरपुर) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जो दुर्घटनाएं होती हैं वे शराब पीने के कारण होती हैं। अगर शराब पीना बन्द कर दिया जाए तो अधी दुर्घटनाएं बन्द हो सकती हैं। शराब पीना पहले हम लोग बन्द करें, मंत्री लोग बन्द करें। अगर शराब न पी जाए तो न मोटर की दुर्घटना हो और न हवाई जहाज की और न रेलवे की। तब बारह आठा दुर्घटनाएं बन्द हो जाएंगी। मेरा यही सुझाव है कि शराब न पी जाए और मरने वाले के परिवारों को जितना अधिक मुआवजा दिया जाए कम है। गाड़ियां समय पर चलनी चाहिये। यह जो माननीय सदस्यों ने कहा है ठीक कहा है। बस मुझे इतना ही कहना था।

SHRI C. H. MOHAMED KOYA (Manjeri): I shall be very brief. There is no justification for a surcharge to give enhanced compensation for the people who die in accidents because passengers are not responsible for the accidents. It is not the creation of the passengers. It is a collective fine imposed on the passengers and it has no justification at all...

PROF MADHU DANDAVATE (Rajapur): It is a recreation for the passengers.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: About keeping time on the railways, many members have said about it. There is a joke about it. One day, a passenger remarked that the train has come in time, but somebody had to point out to him that that was the train of yesterday.

Sir, the railway officials are behaving almost in an irresponsible manner and if there is some mistake somewhere, all the trains are late and they do not apply their mind at all because there is nobody to question them as to why the trains are not running in-

[Shri C. H. Mohammed Koya]

time. Because after all it is a nationalised service, so there is nobody to question them. It should not be like that. The Parliament is the only forum where we can have some say about the railway officials.

The railways must, instead of imposing a surcharge, try to economise. We had at one time a good dining-car system but now it is abolished and the kitchen-car is introduced. The food served is hopeless. There are some private caterers who are serving very good food. But Government is gradually trying to dispense with them. There are railway lines which are running at a loss. We have pointed out many methods to run them efficiently and profitably. Kerala has got only one railway line which is running into a loss. This is the shoranur-Nilambur Railway. It should be extended upto Kallai, the world's second biggest timber centre. This was pointed out in this House several times but not even a survey was made. Therefore, I would request the Minister to order a survey and extend the railway line upto Kallai. Thank you.

डा कैलास (बम्बई दक्षिण) :

मैं इस बिल का समर्थन करने के निए खड़ा हुआ हूँ। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो मैंने उनको एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि रेल यात्री जब दुर्घटना में मरते हैं तो बीमा के आधार पर हो या किसी और तरह से हो आप एक पैमाएक टिकट के पीछे बढ़ा दें। जिससे कि पञ्चीस हजार रुपया आप मरने वाले के परिवारों को दे सकेंगे। इस तरह से गरीब लोगों के परिवार बालों को तुम कुछ योड़ी बहुत सहायता मिल जाएगी। यह सन् 54 की बात है। अब इसको करीब 19-20 साल हो गए हैं। यह बात अब कैसे आई? एक बड़ी दुर्घटना हुई। अगर उस में श्री कुमारमंगलम न

मरते तो शायद इतनी पब्लिसिटी भी न मिलती कि मरने वालों को एक लाख रुपया एयर लाइंस से मिला करता है या उनके परिवार वालों को मिला करता है। वायुयान में मरने वाले चूंकि पैसे वाले हैं इसलिए उनके लिए एक लाख दिया जाए और यहां पचास हजार रखा जाए, हम समाजवाद के जो रोज नारे लगते हैं तो ऐसा कर्क ठीक नहीं लगता। गरीब चूंकि रेलों में चलते हैं उनको दुर्घटना में मरने पर पहले हम बीस हजार देते थे और अब वह पचास हजार दोगे ठीक नहीं है। श्री पाराशर ने कहा कि बीस हजार की जो रकम रखी गई थी वह भी लोगों को नहीं दी गई। कुरेशी जी बताएं कि बीस हजार की राशि आपने कितने लोगों को दी और कितनी रकम मैक्सिमम आपने आज तक दी है। पाराशर जी ने कहा है कि दस हजार से ज्यादा किसी को दी ही नहीं गई है और शायद वह भी साल या दो साल या तीन साल के बाद उनको मिली है। इस वास्ते शंकर दयाल सिंह जी तथा दूसरे साठे जी ने जो सुझाव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ कि बीमा हर यात्री का किया जाय ताकि उसी वक्त उनको पैसा मिल जाए और जो तजवीज करनी होगी वह बीमा कंपनी ही करे न कि सरकार को जो सदा देर करती है।

सरकार का डिफिसिट बढ़ता जा रहा है। उस कारण से सरकार को कुछ रुपया चाहिये वह एक रुपया पेट्रोल पर लेवी लगा कर डिपासिट को घटा रहे हैं। पेट्रोल लेवी से पांच सौ करोड़ मिलने वाले हैं। रेल यात्रियों से पांच पैसे थर्ड क्लास वालों पर तथा डेक्स रुपया फस्ट क्लास वालों पर लगा कर चुपचाप बिना किसी को सूचना दिये सरकार दस करोड़ रुपया या पंद्रह करोड़ रुपया जमा करना चाहती है यह लेवी कब से लागू करने वाले हैं इसकी कोई तारीख तो मुकर्रर की जानी चाहिये थी। ऐसा अगर किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। जब

साठ लाख व्यक्ति हर रोज रेलों में चलते हैं अगर आपने फैटरेट चार आने या पच्चीस पैसे भी सरचार्ज लगा दिया होता तो सरकार को पंद्रह लाख रुपये रोज की आमदनी होगी पर खर्च बहुत कम होगा। मैं इसलिये यह कह रहा हूँ कि अगर आप दुर्घटनाओं सम्बन्धी आंकड़ों को देखें, तो आप को पता चलेगा कि उन में किसी साल भी 1700 ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। अगर हम चार आने के हिसाब ही लगायें तो सरकार को पंद्रह लाख रुपया रोज मिलेगा और इस तरह अथाह रुपया तरकार के पास आ जायेगा। मेरी प्रार्थना है कि या तो सरकार एयर ट्रैवल में मरने वालों का कम्पेन्सेशन भी पचास हजार रुपया कर देया रेलवे में भी वह रकम एक लाख रुपया कर दी जाये। अगर मरने वाला गरीब है, तो कम्पेन्सेशन पचास हजार रुपया और अगर वह अमीर है, तो कम्पेन्सेशन एक लाख रुपया यह बात ममाजवाद की भाषा में नहीं बैठती है।

15 hrs.

इस में कोई शक नहीं है कि हमें लोगों को यह समझाना होगा कि अनमेन्ड रेलवे कार्मिकों को सतर्कता से, दायें बायें देख कर, पार करें, लेकिन ऐसी जगहों पर दुर्घटनायें होने में सारा कुसूर रेलवे एथारिटीज का है क्यों कहा जाय पर रेलवे को भी चाहिये कि वहां अनमेन्ड गेट न रह। कल मंत्री महोदय ने बताया कि इस बारे में उचित व्यवस्था करने के लिए 60 करोड़ रुपये का खर्च होगा और 12 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नरेट्स को दे भी दिये गये हैं। इन जवाबों से जनता को संतोष नहीं होता। क्या देश को संतोष होगा। मंत्री महोदय ने एक फेझ प्रोग्राम के मुताबिक 60 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही है, लेकिन इस पांच पैसे और डेढ़ रुपये के सरचार्ज से सरकार को इतनी आमदनी

होगी कि न जाने कितने साठ करोड़ रुपये हो जायेंगे, जिस से उँ महीनों में ही अनमेन्ड लेवल कार्मिकों को मैन्ड किया जा सकता है जिससे से दुर्घटना कम होगी जैसा कि श्री अंकर दयाल सिंह ने कहा है, इस आमदनी का उपयोग रेलवे की एफिशेंसी बढ़ा कर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी किया जाना चाहिए।

इस बिल में यात्रियों को कम्पेन्सेशन देने की बात कही गई है। लेकिन ट्रेनों पर जो ड्राइवर, गार्ड और डाइरिंग कार में काम करने वाले रेल कर्मचारी हैं, अगर वे किसी दुर्घटना में मरते हैं, तो क्या उन के लिए कोई अलग प्राविजन किया गया है, या वे भी इस में शामिल हैं? हमारे जो कर्मचारी ड्रायटी पर रेलों पर चलते हैं, वे जनता से अलग नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन को पैसेंजर्स से अलग किया जा रहा है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय कुछ भी निर्णय नहीं लेकिन उनको पांच से से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक सरकार को इस से दस लाख रुपये रोज की आमदनी होगी। इस बात का भी पता नहीं है कि मरने वालों के परिवारों को मुश्वाजा साल भर बाद दिया जायेगा या दस साल बाद दिया जायेगा। इस बारे में सभय निश्चित कर दिया जाना चाहिए कि एक महीने या तीन महीने के अन्दर मुश्वाजा दे दिया जाना चाहिये।

मैं लेखी के विश्वद नहीं हूँ। देश में विभिन्न काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के लिए, हमें रुपये की अवश्यकता है। हमें इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): Sir, this Bill, though appears to be simple, yet, there seems to be a very intelligent device taken by the Ministry of Railways. It simply says that for increased costs of compensation, there should be certain surcharges. What about the increased cost according to their own statement? In the Statement of Objects and Reasons of the Bill it is stated that the amount of compensation is to be increased from Rs. 20,000 to 50,000, that is, by 150 per cent and the increased cost will come to Rs. 2½ crores.

Demand has already been made in this House by some hon. Members that while in the Indian Airlines Corporation they are paying compensation upto Rs. 1 lakh, why the same standard should not be allowed for the persons killed or injured due to accident or any failure in the railways? Why for accidents in the railways the compensation amount should not be equal to that of the Indian Airlines?

I would now like to urge on this point. First of all the rate of surcharge, that is to say, the rate of 5 paise, 10 paise or one rupee etc. and the total number of railway commuters are very fantastic. The figure of Railway commuters is 2,535 millions in 1971-72. In other words, according to the Railway Minister's statement, in 1971-72, 2,535 and odd million passengers travelled by railways in this country both in suburban as well as non-suburban trains. I agree that there will be some amount of concession for the season-ticket holders and others. But what will be the amount that will be received by the railways even if we calculate it on a rough basis at the rate of five paise surcharge on each ticket? It will be not less than Rs. 18 to 20 crores. I am prepared to lessen it down to even Rs. 12 to 15 crores. As I mentioned in the beginning, if the claim for compensation is to be increased from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh

or Rs. 20,000 to Rs. 1 lakh, it would mean 400 per cent increase. Even according to the railways' own calculation, for an increase of 150 per cent more, the increased cost would be to the extent of Rs. 2½ crores. At the same rate of increment for 400 per cent, it will be nothing more than Rs. 6½ to 7 crores. But what is the amount that they will be realising as compared to this? It will be fantastically high and it will be nothing less than Rs. 12 to 14 or 15 crores, even if we do not take it to Rs. 20 crores. So, I would request the hon. Minister to consider this aspect. So, what is wrong if I urge the hon. Minister to agree to this suggestion that the compensation amount should be enhanced up to Rs. 1 lakh so that it should be on a part with that in the Indian Airlines.

The main thrust of this Bill is on the question of accidents and the increased cost of living and so on. Is it not possible to lessen the number of accidents? It is not so much a question of giving compensation after the accidents taken place, to the families of the persons killed, but of the ways to lessen or stop the accidents, and what steps have been initiated by the Research, Standards and Design Organisation of the railways in this direction?

If one goes to the anatomical explanations of the railway accidents it will be observed that the accidents mainly are due to three reasons; namely train collision, obstruction on the track and thirdly human failure or bad signalling. Obstruction in the track, human failure and train collision all these can be checked substantially or minimised.

I remember that in the Fourth Lok Sabha in 1968 or 1969 I had referred to a device to minimise the effect and incidence of accidents. The hon. Minister will find it on the records of the Ministry that in 1968-69 I had referred to this. One young scientist of our country had devised a machine known

as the 'Micro Minimum Radar System'. It was a small machine which could be fitted to the railway engine, and which would indicate in it electronic eye whether there was obstruction on the track or not even from a considerable distance, and which would clearly give the signal whether the railway train was passing on the proper track or not. If there were any failure due to bad signalling, the electronic eye would automatically check and stop the train. If there were any obstruction on the track, it would give a signal to the driver, and if the driver did not hear it in time, it will activate an automatic device to stop the train. If there were any danger of collision or there were any obstruction on the track, again the electronic eye would give a signal to the engine driver.

Perhaps, some of the officials working in the research, standards and design organisation of the railways, those who are working there and are supposed to be big scientists, who thought that if this new device were to be accepted, it would imply a failure on the part of the so-called big technicians or scientists of the railways. So, they said that that device was a bunkum. As a matter of fact, I would submit that that device was not given a proper trial. Had it been given a proper trial and the electronic eye device been improved further, the railways would have saved to the extent of Rs. 150 to 200 crores annually.

So, to minimise the incidence of accidents, I would request the hon. Minister to reorganise the research section of the railways. We hear that this young engineer had further improved his machine, and this was published in the newspapers also. I would suggest to the hon. Minister to give his machine a fair trial.

You call him and test his device. If you find it suitable, accept it. Otherwise, not.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have made the point.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: My last point is this. There was an insistent demand for a mail train from Delhi to the eastern region, to New Bongaigaon. This point has already been made by Shri Azad. I am pressing it again. As a matter of fact, the Railway Board had accepted this demand. It was published two years ago in the railway time-table.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You support what Shri Azad said.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: It was published in the railway timetable. I do not know what happened subsequently. The whole scheme had been scuttled. I would urge upon the Railway Minister that at least for the long-distance passengers from Delhi to the eastern region, namely, new Bongaigaon, there should be a daily mail train, not an express or bi-weekly train service. What was decided and settled by the Ministry must be implemented now.

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): This is a small Bill. Though it is small, it has some financial implications. I thank the Railway Minister for enhancing the quantum of compensation to victims of accidents as has been done in the case of accidents in Airlines. But I fail to understand how along with this he has introduced a surcharge. On the one side for those who die in railway accidents, you are giving a compensation; on the other, you are introducing this surcharge.

As regards accidents, most of the members who have spoken have spoken about how to improve the efficiency of operation so that accidents do not take place. But I would request the Minister to see whether he cannot implement the proposal regarding compensation without imposing a surcharge. I would request him to reconsider this matter and see that the surcharge is removed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not in the Bill.

SHRI D. BASUMATARI: If it is not possible, should he not exempt the third class passengers from the scope of this surcharge so that the poor man may get some relief? If the proposal as made remains, the poor people travelling in trains will have to pay the tax. So I would request him to consider this.

Another point, which is of interest to you and me, is this. The Railway Minister had repeatedly promised a faster train from Delhi to Bongaigaon via Farakka Barrage. I asked the Deputy Minister, what this meant. It meant a train faster than mail. But they have contemplated to introduce an express train, and that too a bi-weekly train service (*Interruptions*). What we wanted was a daily train, a faster train. If this is not done, it means that the promise remains unkept.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Up to Bongaigaon.

SHRI D. BASUMATARI: There is another thing. You know very well that a broad gauge line has been constructed from Calcutta to Bongaigaon. What was the object? The object was to ultimately take this railway line via Goalpara and Garo Hills to Gauhati. But that is not done. As you know very well, the Railway Ministry was very reluctant. It was only late Prime Minister Nehru who awarded us a bridge across the Brahmaputra and the said railway line. But after his death, they have forgotten us. The Deputy Minister comes from a hill State and he has sympathies for the Assam State which is very neglected. He has also forgotten us.

So I would request him to introduce a faster train, by whatever name it may be called, upto Bongaigaon and from there to Gauhati. It should be daily and not weekly.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, accidents on the Railways have

become almost a daily feature and no-week passes in this august House without a Calling Attention motion on them. If the cess is levied on the passengers, the railway staff who are responsible for the accidents will never feel for anything. So, my suggestion is, if there is any accident on account of the failure of the railway staff they must be held responsible and the compensation that is to be paid to the dependants of the victims must be recovered from their unions. (*Interruption*). Then alone they will behave in a responsible way. Here, the poor people are suffering and the poor passengers are asked to pay. And what is it that the railway staff do? If somebody dies, on account of their negligence, they are going scot-free! Not only do I want the money to be recovered from them, but if, on account of their negligence an accident occurs, they must be prosecuted under section 302 IPC for murder. Unless and until stringent measures are taken against the erring staff, nothing is going to improve. My demand on the Minister is that he should take stringent action and, if possible, he may include all these suggestions in the Bill or at a later date.

The sum of Rs. 50,000 that is being suggested as compensation in respect of the victims is quite sufficient. But my suggestion is that those who are disabled must be paid Rs. 75,000 because not only will they have to live but there has to be someone else to support him throughout his life. That is why the compensation in the case of the disabled persons must be fixed at Rs. 75,000.

Then, Prof. Mavalankar suggested that the Railway Board should be abolished. I want to know whether the Railway Board, sitting in the Rail Bhavan, is arranging daily for the head-on collisions. I want to know why he made such a suggestion. (*Interruption*). I do not want to go into all those things. My only demand on the Minister is that he should see that accidents are completely eliminated.

It is seen from the reports that the number of accidents have come down from 1,700 to 800, but that is not a satisfactory affair. Even in one single accident many people can die and in such fatal accidents the railway has to pay more compensation to the dependants of the victims.

श्री विद्यवान् शिह (मुमूनू) : उपर्युक्त जी, इस रेलवे संशोधन विधयक में दो पहलू रख गये हैं और मुझे दोनों ही दुखदायी लगते हैं। जहाँ तक सरचार्ज का सवाल है पांच पैसे दस पैसे डेढ़ रुपये या कहाँ तक आप इस को लगायेंगे मुझे पता नहीं, फाइनेंशियल मेमोरेंडम में इतना ही लिखा है कि सरचार्ज हम लगाएंगे, और इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहूँगा कि डाई करोड़ का जो एकसद्वा एक्सीडेंचर का अनुमान उन्होंने लगाया है, इस सदन के सदस्यों को वह स्पष्ट रूप से एश्योर करें कि इस से अधिक और सरचार्ज वह नहीं लगाएंगे। डाई करोड़ से अधिक सरचार्ज अगर लगाते हैं तो इस का मतलब है कि आप अपने रेलवे के ऐडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिसियेंसी को मुश्याबजे के नाम से छिपाकर टैक्स लगा कर कवर करना चाहते हैं। आज रेलवे ही नहीं किसी भी सरकारी उद्योग के अंदर जो लेवर काम करता है, जो कर्मचारी काम करते हैं उन का संगठन, एक ऐसा संगठित दल हो गया है जो देश की समूची आमदनी खाजाना चाहते हैं और उसके बदले में काम नहीं करना चाहते हैं। ट्रेड यूनियन को मैं बुरा नहीं मानता। ट्रेड यूनियन अच्छी ऐक्टिविटी है, मेरे दायरी और बैठे सभी नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन को बुरा नहीं समझता और मेरी मान्यता है कि किसी को भी इस देश में 1 हजार रुपये से कम तनब्बाहु नहीं

मिले। लेकिन उस के साथ साथ काम करने की क्षमता हमारी बढ़, ईमानदारी से हम काम करें लेकिन ट्रेड यूनियन में जो साथी लगे हुये हैं वह रुपया खाना चाहते हैं भगवर काम नहीं करना चाहते। आज भी अगर ईमानदारी से काम करें, 8 घंटे का काम यदि रेलवे का कर्मचारी करे तो आज का जो स्टाफ है उस को एक बोथाई कर सकते हैं। आज कोई भी कर्मचारी दो घंटे से अधिक ईमानदारी से काम नहीं करता।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तथाम रेलवे की कमाई आप इन कर्मचारियों को भत दें, जो एक्सीडेंट में रुपया देने जा रहे हैं वह इस में से देव कर के दें और आप सदन को एश्योर करें कि जितना भी रुपया इस में खर्च होगा उस से ज्यादा सरचार्ज आप नहीं लगाएंगे।

इस का दूसरा पक्ष लीजिये। । कोई भी इन्सान ऐसा नहीं होगा जिस के सामने आप यह रखें कि 20 हजार की जगह 50 हजार रुपया हम कम्पेन्सेशन देंगे। बशर्ते कि वह आदमी भरने को तैयार हो तो कोई भी आदमी उसके लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इन एक्सीडेंट्स को रोका जाय और उसको रोकने के बहुत से तरीके हैं। ईमानदारी से रेलवे कर्मचारी काम करें तो एक्सीडेंट नहीं हो सकते। जो हृयमन कंट्रोल के बाहर की चीज हो उसके लिए एक्सीडेंट हो सकते हैं नहीं तो और नहीं हो सकते हैं।

जो सुझाव इस समय सदन के माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं उनको रिपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक्सीडेंट्स को कम करने के लिये

(श्री विजवनाथ सिंह)

आप को प्रयत्न करना चाहिए। एफिशियन्सी को बढ़ाइये, इसके लिये मैं दो—तीन बातें कहना चाहता हूँ। इस बक्त रेलवे और रोड ट्रैफिक में जबरदस्त कम्पीटीशन चल रहा है, इस तरफ आप ज्यान नहीं दे रहे हैं। आज जितना भी ट्रैफिक है वह रोड से जाना ज्यादा पसन्द करता है, क्योंकि उसे आप की सर्विस पर विश्वास नहीं है। आप के पहां चोरी होती है, दैन देर में पहुँचती है, पिलकरें होती है, आप उस को चैक कीजिये। आप की रेलवे का स्टाफ खुद चोरी करता है और फिर अदालतों में लोग कम्पेन्शन लेते हैं—अगर इस को चैक कर सकें तो आप बहुत बड़ी रकम बचा सकते हैं। लोगों को एफिशियेन्ट सर्विस दें। राजस्वान से बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के पूर्वीभाग में जाते हैं, कालका या दूसरी गाड़ियों को पकड़ना होता है, दो—ढाई बन्टे का मार्जिन होने के बाद भी लोग आप की रेल से आना पसन्द नहीं करते, जोधपुर और बीकानेर से मेल को बजाय बसों से आना ज्यादा पसष्ट करते हैं, क्योंकि बसें टाइम पर पहुँचा देती हैं, लेकिन आप की रेल टाइम पर नहीं लाती। अगर रेल टाइम पर आये तो लोग रेल से आना ज्यादा पसन्द करेंगे और इस से आप की आमदनी भी बढ़ेगी।

एक निवेदन में यह कहना चाहता हूँ—जिस तरह से आज हम रेलवे स्टाफ की एफिशियन्सी की मांग कर रहे हैं, उसी तरह से आप को इस सदन के माननीय सदस्यों के सुझावों को भी मानना चाहिए। आखिर हम भी यहां पर 8—10 लाख आदमियों के बोटों को लेकर यहां आते हैं, आप हमारे सुझावों

पर महीने-दो महीने एक्सपैरिमेंट कर के देखिये। हम डिव्वे बढ़ाने, रेल चलाने की मांग करते हैं, आप उस पर एक्सपैरिमेंट कीजिये, अमर रेलवे की आमदनी बढ़ती है, लोगों को सुविधा मिलती है, तब उस को मानिये, बरना न मानिये। लेकिन दिक्कत यह है कि आप के आफिसर्ज सब एक लाइन पर चलते हैं, उनकी समझ में आ गया, चाहे उस से रेलवे को नुकसान हो, उस को मान लेंगे, लेकिन दूसरे लोगों के सुझावों को नहीं मानेंगे—यह अच्छी नीति नहीं है। इस सदन के माननीय सदस्य जो सुझाव देते हैं, उन को एक्सपैरिमेंट के रूप में मानिये।

मैं चाहता हूँ इस अवसर पर आप इस सदन को एक विश्वास दिनांक दीजें—झाई करोड़ रुपये से अधिक सरकार्ज नहीं लगायेंगे ताकि इन लोगों की इन-एफिशियन्सी को छिपाया न जा सके।

श्री मुहम्मद जर्मान लुरहमान (किशन गंग) मौहतरिम डिस्ट्री स्पीकर, साहब, आज कल के नारेबाजी और इन्कलाब जिन्दाबाद के दौर में इस कदर अन्सटोटी बढ़ गई है कि हमाना को अपनी जिन्दगी पर भरोसा नहीं रहा। जब भी कोई शख्स घर से निकलता है वह यह सोचते लगता है कि उसी और सालिम अपने भकान पर बापस आजाय। और अगर कोई शख्स सफर पर निकलता है तो वह यह जहर सोचता है कि वह ठीक बक्त से और बिलकुल सही वह सालिम अपने डैस्टीनेशन पर पहुँच जाय। मैं अपने दोस्तों से, जो मेरी बाहिनी तरफ बैठे हैं, खास तौर से इस्तदुआ कहेंगा कि कम से कम ला-एण्ड-ग्राउंड को बरकरार रखने में अवासी हुकूमत का साथ दे

और इन्कालाब जिन्दाबाद के नारे की आड़ में, अवाम की जिन्दगी दूधर न करें। मैं खास तौर से ऐसी संस्थाओं, ऐसे हादारों से जो हमारे मजदूर भाइयों के सरबराह हैं, उन से इस्तदुश्मा कर रहा हूँ। मैं देख राह हूँ कि पिछले चन्द महीनों से हर शीबे में गढ़बढ़ पैदा की जा रही है और कराई जा रही है। कभी पानी बन्द, कभी बिजली बन्द, कभी रेल बन्द, गर्ज कि जितने किस्म के ओछे हवियार हैं, वे सारे इस्तेमाल करते हैं और किर अवाम की जिन्दगी दूधर कर देते हैं।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ—भारत की अवाम अपनी जिम्मेदारी निभाना जानती है, निभा रही है और निभा चुकी है। उन के खोखले नारो से अब कोई खास असर भारत के अवाम पर होने वाला नहीं है। रेलवे के तरभीम बिल को बड़े गौर से देखा है और पढ़ा है। इस जम्हूरियत के दौर में इस बिल के अन्दर जो रकम बढ़ाई जाने की मांग की गई है, उस से बड़ा धोखा अवाम को और क्या दिया जा सकता है। हवाई जहाज का मुसाफिर मरे तो एक लाख रुपया और रेल का मुसाफिर मरे तो 50 हजार रुपया दिया जायगा—यह कैसा इन्साफ है? अखिर जिन्दगी तो सब की बराबर है और एक जैसी है और मौत भी सब की एकसी है। ऐसा तो नहीं है कि अमीर की जिन्दगी एक रंग की है और गरीब की जिन्दगी का रंग दूसरा है। इसलिये कप्पेन्सेशन के मामले में यह इन्टिलाज क्यों? जम्हूरियत के जमाने में यह डिस्ट्रीमिनेशन बेमूलासिब है।

अभी पिछले सेशन में भी रेलवे की एक तरभीम पास हुई थी, अब वे दूसरी तरभीम

को ले आये हैं—इस से बेहतर तो यह था कि अब रेलवे के सिलसिले में एक मुकम्मिल बिल पिछले रेलवे एकट को रद्द करने के लिये लेकर आते जो ऐसा बिल हो जो अवाम की जिन्दगी का नमूना हो। खास कर इस जम्हूरियत के दौर में, जम्हूरियत का ख्याल करते हुए, अवाम का ख्याल करते हुए, ऐसा बिल लाया जाए जो अवाम की जरूरत को पूरा कर सके।

मैंने इस बिल के फाइनेन्शल मेमोरेंडम के दूसरे पैरे को पढ़ा—मैं उस की पुरजोर मुख्य-लफत करता हूँ, क्योंकि सरचार्ज लगाना बिलकुल बुनासिब नहीं है। उस के बदले मैं यह तजबीज करता हूँ कि पैसेन्जर इंशोरेंस स्कीम लागू की जाए। इस सिसिले में मैं आप के सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ—

7-9-1962 को एक तजबीज जनाब महाबीर त्यागी साहब ने पेश की थी और उस पर अन्जहानी बजीरेआजम पं० जवाहर लाल नेहरू ने राय दी और उस रेजोल्यूशन को फाइनेन्शल मिनिस्ट्री के पास मेजा गया ताकि उस पर गौर किया जाय कि उस स्कीम की लागू किया जा सकता है या नहीं। पंडित जी चाहते थे कि पैसेन्जर इंशोरेंस स्कीम लागू की जाए।

उस के बाद 25-8-1966 को जनाब पाटिल साहब ने, जो उस बक्त रेलवे के बजीर थे, लोक सभा में कहा था कि मुसाफिरों के लिये इंशोरेंस की स्कीम जैरेगौर है।

(भी भुहम्बद जमीलरूंबान)

3-9-1966 को उस वक्त संबंध सदस्य डा० सिंधवी साहब ने लोक सभा में मुतालबा किया कि इंशोरेंस की स्कीम लागू की जाये।

22-7-1969 को डा० रामसुभाग सिंह, जो उस वक्त रेलों के वजीर थे, ने लोक सभा में यकीन दिलाया कि इंशोरेंस स्कीम लागू की जाएगी और उस पर रजामन्दी भी थी।

18-6-1970 को रेलवे बोर्ड ने यह तज्जीज की ओर कहा कि यह भामला एल० आई० सी० के जरेगोर है। जब एल० आइ० सी० के जरेगोर यह भामला था तो फिर इस को लागू कर्या नहीं किया जा रहा है, इस कदर वज्रत इसमें क्यों लगा, जब कि यह भामला पंडित जी के वज्र से चला आ रहा है।

मौजूदा डिप्टी मिनिस्टर (रेलवे) ने 14-11-72 को राज्य सभा में एलान किया कि इंशोरेंस की स्कीम को लागू करने की तज्जीज है।

3-5-1973 को भी वजीर (रेलवे) ने रेलवे बोर्ड के जरिये यह जवाब दिया कि इस स्कीम पर गौर हो रहा है।

30-7-1973 को भी लोक सभा में वजीर (रेलवे) ने एलान किया कि स्कीम लागू की जा रही है और जेरे तज्जीज है।

जहां तक मुझे भालूम है सरकार भी चाहती है कि यह स्कीम लागू हो। भगवर फिर भी यह अभी तक लागू नहीं हो सकी है मैं इस को हुक्का की गफलत समझता हूँ और आप

के जरिये उन को आगह कर देना। चाहता हूँ कि अब अवाम की जिन्दगी के साथ ज्यादा न खेलें। ऐसी हालत में सरचार्ज बढ़ाना जनता के साथ मखौल करना है।

जनावेवाला, मैं आप के जरिए व (रेलवे) से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप इंशोरेंस की स्कीम लागू करते हैं तो आप को हृत्यैजल फायदा होगा।

1. 38 से 60 लाख मुसाफिर रोजाना 4200 से 4500 मुसाफिर गाड़ियों पर 6500 से 7000 स्टेशनों पर उतरते हैं। इस के मायने यह हुए कि 2340 से 4166 मुसाफिर फी-मिनट स्टेशनों पर उतरते हैं या इस को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि 1300 मिलयन से 2160 मिलियन मुसाफिर फी-साल सफर करते हैं जो हमारी कुल आबादी का चौथा है।

2. यह बात भी काबिले गौर है कि एक तरफ इस स्कीम को लागू करते हैं तो 30 लाख रुपये की आमदनी रोजाना होगी और दूसरी तरफ इस स्कीम के जरिये 32000 नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजी मिलेगी नौकरी मिलेगी जिस से उन का नौकरी का मसला हल होगा।

बिल में अभी सरचार्ज बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन साथ-साथ यह भी जाहिर होना चाहिये कि सरचार्ज कितना बढ़ेगा। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ-इंशोरेंस की स्कीम लागू करने से आमदनी बढ़ेगी, पढ़े लिखे नौजवान जो बेकार हैं, उन को नौकरी मिलेगी, और यह भी मैं सवार होते

हैं उन को इतिमिनान होगा कि अगर उन की जिन्दगी को अन्वेशा होगा तो उन का मुश्किला मिलेगा, दिला टिकट सकर करने वालों की तादाद में कमी होगी। इस सदन में बारहा इस बात का एलान किया गया है, वायदा किया गया है कि इंशेरेन्स लीम लागू की जाने वाली है, वह सरकार के जेर गोर है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उसको जल्द से जल्द लागू किया जाये। इस एवान के साथ जो वायदा किया गया है उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाये ताकि मुसाफिरों की जिन्दगी सेफ हो सके।

[شیخ محمد جمیل الرحمن (کشن)]

(لکھیج) مختصوم تپتی سوہیکر صاحب آج کمل کے نعرے باری اور انقلاب زندہ باد کे دود میں اس قدر انتہائی بوجہ گئی ہے کہ انسان کو اپلی ڈنگی پر بھروسے نہیں رہا جب بھی کوئی شخص کھو سے نکلتا ہے وہ بے سوچ لکھتا ہے کہ سہی اور شالم اپلے مکان پر واپس آ جائی۔ اگر کوئی شخص سفر پر نکلتا ہے تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ وہ تھوڑک وقت سے اور بالکل مہی و سلامت الہ قسمی نہیں پر بھلیج جائی۔ میں اپنے دوستوں سے جو سہوئی داہلی طرف بیٹھے ہیں خاص طور سے دست دعا کرونا کہ کم ۔ کم ۳۰ ایک آف کو برقرار رکھئے میں عوامی حکومت کا ساتھ دیں اور الملاک زندہ باد کے نارے کی آز منی عوام کی

ڈنگی دوبھر لے کر دیں۔ میں خاص طور سے اوس سلسلت کو ہمیسے اپنے ڈنگوں سے جو ہمارے مددوں بھائیوں کے سے بجا ہیں۔ اُن سے دست دعا کو دھا ہوں۔ میں دیکھ دھا ہوں کہ پچھلے چند مہینوں سے ہر صوبے میں کوئی پیدا کی جا دی ہے۔ اور کرانی جا دھی ہے۔ کہوئی پانی بلد کہوئی بھلی بلد کہوئی دیل بلد فرضیہ کے جتنے قسم کے اوجھے ہتھیار ہوں وہ سارے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر عوام کی ڈنگی دوبھر کر دیتے ہیں۔

میں پہ بھو مریض کرنا جائتا ہوں۔ بھارت کی عوام، اپنی ذمہ داری نوہانا جانتی ہے۔ نہما دھی ہے۔ اور نہما چکی ہے۔ اُن کے کھوکھلے قاروں سے اب کوئی خاص اثر بھارت کے مولم پر ہونے والا نہیں ہے۔ دیلوں کے تومہم پل کو میں نے بھوٹ فوڑے دیکھا ہے اور پوہا ہے۔ اس جمہوریت کے دود میں اس بول کے اندو جو دم بھوہائی جانی کی مانگ کی گئی ہے۔ اُس نے بھدا دھوکا عوام کو اور کہا دیا جا سکتا ہے۔ لکھیج چہار کا مسافروں میں نہ ایک ہواںی چہار کا مسافروں میں نہ ایک 50 ہزار روپیہ اور دیل کا مسافروں میں نہ کوئی انصاف ہے۔ آخر ڈنگی تو سب کی ہواں ہے اور ایک جھسنے ہے اور موت بھی سب کی پیکساں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اسہر کی ڈنگی ایک وہک اگئی اور فریب کی ڈنگی۔

[فہری محمد جمال الرحمن]
کا دنگ دوسرا ہے اس لئے کوہنلوہن کے
مہامیں میں یہ لستہ کیوں جمہوریت
کے زمانے میں تسلیم کیوں ہے ملائیں
ہے -

ابھی پچھلے شہین میں بھی
دیلوے کی ایک توہین پاس ہوئی
تھی - وہ دوسروی تومہم کو لم آئی
ہے - اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اپنے
دیلوے کے سلسلے میں ایک ملائیں
بل پڑھ لے دیلوے ایکت کو د کرنے کے
لئے لم کر آئے جو ایسا بل ہو تو عوام
کی نندگی کا نسونہ ہو - تو خاص کو
اس جمہوریت کے درود میں - جمہوریت
کا خیال کرنا ہوئے و عوام کا خیال
کرتے ہوئے - ایسا بل الیا جائے جو
عوام کی خودوت کر پڑے کوئی سکے -

میر نے اس بل کے فائلانہل
مہمودنقم کے دسوئے پہرا کوئے ہا -
میں اس کی پڑھ، مخالفت کرتا ہوں -
کوئونکہ سر چاچ لکانا بالکل مناسب
نہیں ہے - اس کے بدالے میر یہ
تجھویز کرتا ہوں کہ پسلجہر انہوں نہیں
لگو کی جائے - اس سلسلہ میں
میں آئیکے سامنے کچھ اٹکے پھیں
کونا چاہتا ہوں -

1962-9-7 کو ایک تجویز جلب

سماں تھاکی صاحب نے بھیں کی
تھی اور اس پر آنچھاتی وزیراعظم پلنت
چواہر لال نہرو نے دلہی میں اور اس

دیزوولیشن کو فائلانس ملستو کے
پاس بھیجا کیا تاکہ اس پر فور کہ
جائے کہ اس سکھم کو لاگو کیا جا
سکتا ہے یا نہ ہے - پلنت جی
چاہتے تھے کہ پسلجہر انہوں نس
سکھم لاگو کی جائے - اس کے بعد
1966-8-25 کو چماب پاٹل صاحب
نے جو اس وقت دیلوے کے ذمہ تھے
وک سبھا میں کہا تھا کہ مسالتوں
کے لئے انہوں نس کی رقم ذمہ فور ہے -
1966-9-3 کو اس وقت سلسہ
سدسیہ ڈاکٹر سلکونی صاحب نے لوک
سبھا میں مطالبہ کیا کہ انہوں نس
کی سکھم لاگو کی جائے -

1969-7-22 کو ڈاکٹر دام سبھاک
ملکہ جو اس وقت دیلوے کے ذمہ تھے
نے لوگ سبھا میں یقین دلایا تھا
کہ انہوں نس سکھم لاگو کی جائیگی اور
اور اس پر دشمنی بھی دی تھی -

1970-6-18 کو دیلوے بروڈے لے یہ
تجھویز کی اور کہا کہ معاملہ - ایل -
آنی - سی کے ذمہ فور ہے - جب ایل -
آلی - سی کے ذمہ فور یہ معاملہ
تھا تو یہ اس کو لاگو کیوں نہیں
کیا جا رہا ہے - اس قدر وقت اس
ہوں کیوں لکا جب کہ یہ معاملہ
پلنت جی کے وقت سے چلا آ رہا ہے -

موجودہ قبیلی ملستو (دیلوے) نے
1972-II-14 کو راجہہ میہا میں
اعلان کیا کہ انہوں نس کی سکھم ، سکھم
کو لاگو کرنے کی تجویز ہے -

نے 3-5-1973 کو بھی وزیر (دیلوے) نے
دیلوے بودہ کے ذریعہ یہ جواب دیا کہ
اس سکم پر فور ہو دھا ہے۔

میں وزیر (دیلوے) نے اعلان کیا کہ
سکم لاکو کی چاہی ہے اور زیر تجویز
ہے۔

جہاں تک مجھے معلوم ہے سرکار
بھی چاہتی ہے کہ اسکم لاکو نہیں
میکو پہنچا یہ یہ ابھی تک لاکو نہیں
ہو سکی ہے۔ میں اسکو حکام کی
فلمت سمجھتا ہوں اور آپ کے ذریعے
آن کو آکا کر دینا چاہتا ہوں کہ
اب عوام کی ڈنڈکی کے ساتھ زیادہ نہ
کوہلیں۔ ایسی بالع میں سو چارج
بڑھانا جلتا کے ساتھ محفول کرنا ہے۔

جناب والا۔ میں اس کے ذریعے
وزیر (دیلوے) سے یہ عرض کرنا چاہتا
ہوں کہ اگر آپ انہوں نص کی سکم
لاکو کرتے ہوں تو آپکو حسب ذیل
فائدة ہوگا: —

(I) 38 سے 60 لاکھ مسافر دوواں
4200 سے 4500 تک 6500 سے 7000 سینیشن پر
5000 سے 4166 تک 2340 سے 2160 میں مسافر
ستیشن پر اُنتوں ہوں یا اسکے
طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ
فر صال سفر کرتے ہوں ۲ هماری
کل آبادی کا چوکنا ہے۔

(2) یہ بات ہے قابل فور ہے
کہ ایک طرف اس سکم کو لاکو کرنے
ہوں تو 30 لاکھ روسوں کی آمدی
دوڑانہ ہوگی اور دوسرو طرف اس
سکم کے ذریعہ 32000 نوجوانوں کو
پڑھ لکھ نوجوانوں کو دوای ملھیں۔
نوکری ملے گی جس سے انکا نوکری
کا مسئلہ حل ہوگا۔

ہل میں ابھی سرجاچ بڑھانے کی
بات کہی گئی ہے لہکن ساتھ ساتھ یہ
بھی ٹھاہر ہونا چاہئے کہ سرجاچ
کتنا پڑھتا ہے۔ میں یہ بھو عرض کرنا
چاہتا ہوں انہوں نص کی سکم لاکو
کرنے سے آمدی پڑھیں۔ پڑھ لکھ
نوجوان جو بیکار ہیں انکو نوکری
ملے گی پہلے جو گائی میں سواد
ہوتے ہیں انکو اطمینان ہوگا کہ اگر
انکی ڈنڈکی کو انداشتہ ۲۰۵ تو اسکا
معافہ ملھتا۔ بلا کہ، سفر کرنے
والوں کی تعداد کم ہوگی۔

اس سدن میں بارہا اس بات
کا اعلان کیا کہا ہے وعدہ کہا
کیا ہے کہ انہوں نص سکم
لاکو کی جائی والی ہے۔ وہ سرکار کے
ذیل فور ہے تو میں عین کونا چاہتا
ہوں کہ اسکے جلد سے جلد لاکو کیا
جائے۔ اس کے بعد جلد سے جلد لاکو کیا
کیا کہا ہے اسکے جلد سے جلد لاکو کیا
جائے تاکہ مسافروں کے ڈنڈکی سہی
ہو سکے۔

श्रीमती लहोदराबाई राथ (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल यहां पर आया है उसका मैं समर्थन करती हूँ। साथ-साथ यह भी कहना चाहती हूँ कि यह जो 50 हजार या एक लाख मुआविजा का बिल पास होने जा रहा है उसमें बड़ी भारी संख्या हो जायेगी। कभी-कभी शिक्षक लोग बच्चों को लेकर रेलवे फाटक से गुजरते हैं, अगर दुर्घटना से वहां कोई दुर्घटना हो जाये तो वहां भी यह 50 हजार या एक लाख का मुआविजा मिलेगा या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मियांबीबी में झगड़ा हो गया तो व भी जाकर रेल के नीचे कट जाते हैं तो उस हालत में बीबी को या मियां को मुआवजा मिले इसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जब यह बिल पास हो जायेगा तो कई लोग इसलिए भी जाकर रेल से कट जायेंगे कि एक लाख रुपया उसके परिवार को मिल जायेगा। इसलिए बहुत गौर करके इस बिल को पास करना चाहिए।

इसके साथ साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो गाड़ियां चलती हैं वह अक्सर जगह जगह खड़ी हो जाती हैं। बहुत से लोग जजीर खींच कर जहां चाहते हैं गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अपना सामान, लकड़ी को यला सेकर उतर जाते हैं। इसके अलावा जो रेल कर्मचारी हैं वह भी अक्सर हड़ताल कर देते हैं और उसकी बजह से भी गाड़ी समय से नहीं चलती है। कर्मचारी भी अक्सर झांडा सेकर खड़े हो जाते हैं और हड़ताल कर देते हैं। नाना प्रकार की पार्टियां हैं जो तरह तरह से भारतवर्ष में समाजवाद लाने में रोड़ा

भटका रही हैं। ऐसा लगते लगता है कि जैसे कोई कानून ही नहीं है, कोई शासन ही नहीं है। इसलिए इन बातों के लिए भी सोचना चाहिए। रेलमंत्री जी जो यहां पर बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने कई सुझाव यहां पर देते हैं लेकिन हमारी एक बात भी कभी मानी नहीं जाती। मैंने कई बार यहां पर मध्य प्रदेश की ट्रेन्स के बारे में अपने सुझाव दिये लेकिन हमारी बात न तो कभी सुनी जाती है और नहीं मानी जाती है। यहां पर जो हरिजन आदिवासी मेम्बर हैं उनकी कोई दात सुनी नहीं जाती, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है और जो बड़े चटकाले लोग हैं चापलूसी करने वाले उन्होंकी बातें सुनी जाती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी आदमी हो सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और सभी की बातों को सुनना चाहिए।

इसके साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि रेलवे में जो कर्मचारी भर्ती किये जाते हैं उनमें उन महिलाओं को भी जो बी०ए०, ए०८० ए० पास हैं जगह मिलनी चाहिए।

साथ ही इसमें जो 50 हजार का मुआविजा रखा गया है जिसके लिए 1 लाख रखने की मांग सभी लोगों ने की है मैं भी समझती हूँ एक लाख रखना चाहिए और रेलवे में कोई दुर्घटना होने के बाद जल्दी से जल्दी यह मुआविजा उसको मिल जाना चाहिए आज जो हालत है उस में पांच साल तक लोग भटकते हैं और हजार दो हजार रुपये जब तक उन लोगों की जेब में न पहुँचे तब तक कोई फैसला ही नहीं होता है। इसलिए उस पर

जल्दी से जल्दी गौर किया जाये और मुश्त्राविजे की रकम फौरन दी जाये। इसके अलावा जिनके हाथ-पैर दुर्घटना में कट जायेंगे उनके लिए क्या होगा? उनके लिए सरकारी नौकरी के नियम के मुताबिक होगा या एक लाख रुपया मिलेगा इस बात को भी देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं रेल मन्त्री ने जो विधेयक पेश किया है उसका समर्थन करती हूँ और यह आग्रह करती हूँ कि जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायें और रेलवे की व्यवस्था को भी ठीक किया जाये।

रेल मंत्रालय में उप अधिकारी (श्री मुहम्मद ज़की कुरेशी): जनाब छिप्टी स्पीकर साहब 30 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया है हालांकि यह एक भुज्जतासिर बिल-था, एक अच्छा बिल था और मुझे अ्याल था एक इसमें बहस कम होती। यह एक अच्छा कदम है तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया है लेकिन जब भी रेलवे पर बहस होती है तो तमाम किस्म के मसले उठाये जाते हैं और छोटे से बक्स में उनका जबाब देना काफी मुश्किल हो जाता है। एक बात जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह कि जो बिल हम लाये हैं वह एक अच्छा कदम है। पहले जब कभी एक्सीडेंट होता था तो किसी शब्द की आमदनी की बुनियाद पर मुश्त्रावज्ञा मिलता था। तो अगर किसी शब्द की आमदनी 70 रुपये या उससे कम हो तो 4 हजार मुश्त्रावज्ञा मिलता था अगर वह मर जाये तो। इसी तरह 70 से 100 रुपये की आमदनी हो तो 5 हजार मिलता था। और जो सब से कंची हूँ वह 20 हजार की होती भी वह उस सूरत में मिलती थी जब कि आमदनी दो हजार रुपये हो। इस तरह से

यह जो बात थी वह डिस्ट्रीक्युमिनेटरी थी क्योंकि दोलत की बुनियाद पर या तनखाहों की बुनियाद पर मुश्त्राविजा मुकर्रर किया गया था। उस हृद तक मैं समझता हूँ कि इस बात की दाव देनी चाहिये कि रेलवे में जो एक डिस्ट्री-मिनेशन था, आमदनी की बुनियाद पर मुश्त्राविजा देने की जो बात थी उसको खत्म करके एक अच्छा बिल लाया गया है और मुश्त्राविजे की हृद भी बढ़ा दी गई है। जो शब्द रेल के आदसे में मारा जायेगा उसको 50 हजार रुपये मिलेंगे और जो उम्र भर के लिए नाकारा हो जायगा, ज़खी होगा, हाथ पैर कट जायेंगे या आंख निकल जायेगी तो उसी हिसाब से उसको मुश्त्राविजा मिलेगा इस में जराये आमदनी कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो उसका सवाल नहीं है।

यहां पर कूछ माननीय सदस्यों ने इस बात का तज़किरा किया कि यह अच्छा कदम है लेकिन 5 पैसे सरचार्ज जो लगाया गया है वह ज्यादती की है और रेलवे इसी तरह से ज्यादा रुपया हासिल करना चाहती है। यहां पर कई बार तज़किरा हो चुका है कि रेलवे जो है वह कौम की अमानत है कौम की मिल्कियत है, यहां कौन किस से लेता है, कौन किस को देता है उस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह जो सरचार्ज है उस में आज जनता तंमाम लोगों के दुखदर्द में शरीक होने के लिये छोटी-छोटी रकम अपनी जब से देगी और मुझे यकीन है जनता इस सरचार्ज को पसन्द करेगी क्योंकि वह यह समझ कर देगी... (ध्येय-धान) कि किराया तो बढ़ा नहीं और पांच पैसा जो हम देंगे वह इसलिए है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई और उस में कोई भाई ज़खी हो गए या मर गए तो उनको मुश्त्राविजा देने में कुछ हमारा भी हिस्सा हो जायेगा। एक थर्ड ब्लास का पैसेन्जर भी 5 पैसे देगा। मैं समझता हूँ कि समाजवाद

[ओ नुकसान ज्ञानी कूरेज़ो] की सब से बड़ी वर्कत यह भी है। (ध्यवधान) मेरा रुपाल है उस तरफ के लोगों को समझाव समझाने में काफी देर लगेगी इसलिए वह योड़ा सा सब करें तो मुमिन है समझ जाये। (ध्यवधान) मेरा इस बात को साफ करने का मकसद था कि रेलवे इस बिल से एक अच्छा कदम उठा रही है लेकिन यह न समझा जाये कि रेलवे इससे कोई रकम हासिल करना चाहती है। जो भी रकम हासिल होगी, मैं सदन को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तमाम की तमाम रकम पेसेन्जर एमिनिटीज़, सेफ्टी की डिवाइस को मजबूत बनाने में, अच्छा बनाने में सर्फ की जायेगी, किसी और काम पर वह रुपया सर्फ नहीं होगा। (ध्यवधान) रेलवे में 127 करोड़ रुपया एक सोशल बड़न है। पिछले कई वर्षों से आम तौर पर रुपाल है कि हम पेसेन्जर ट्राफिक, से, पार्सल ट्राफिक से, कोर्चिंग ट्राफिक से पैसा कमाते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है बिंक कोर्चिंग ट्राफिक पर हर साल हमारा 63 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। वजह यह है कि हम कम किराया लेते हैं, दुनिया में सब से कम किराया यहां पर है। अगर आप उनको बढ़ाना चाहते हैं तो आमदनी ज्यादा हो सकती है। इसी तरह से तकरीबन 55 करोड़ रुपया रेलवे को नुकसान होता है फूड-प्रेस्ट, कटिलाइज़र या इस किस्म की जो आम जोखों के इस्तेमाल की जीजें हैं उनको साने में। उसका भी किराया अगर बढ़ा दें तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है और जो घाटा रेलवे को होता है उसको पूरा कर सकते हैं।

क्योंकि आम के फायदे की जो जीजें हैं, आम लोगों को जिन से फायदा पहुँचता है वहां रेलवे यह नहीं सोचती है कि इस से इतना रुपया कमाना है बिल्कु जनता का फायदा किस में है इसको देखती है। इस बास्ते 55 करोड़ का नुकसान भी हम बरदास्त करते हैं।

तकरीबन साढ़े सात करोड़ रुपया अन-इकोनोमिक ब्रांच लाइंज़ चलाने पर हम को नुकसान उठाना पड़ता। है अगर उन को बन्द कर दें तो यह बच सकता है। लेकिन चूंकि जनता को इस से तकलीफ होगी इस बास्ते हम खुद की तकलीफ को बरदास्त कर लेते हैं। इस तरह से तकरीबन एक अरब 27 करोड़ रुपया रेलवे को हर साल सोशल मैशर्ज़ के तौर पर बरदास्त करना पड़ता है। उसको 14 करोड़ रुपया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर भी खर्च करना पड़ता है और तकरीबन बीस करोड़ रेलवे कर्मचारियों की सेहत पर, अस्पतालों पर, दवाइयों पर खर्च करना पड़ता है। तकरीबन 11 करोड़ रेलवे के जो मुलायिज़ हैं उन के बच्चों की तालीम पर वह खर्च करती है। इस बास्ते यह इल्जाम लम्बाना कि किसी तरह से पैसा बटोरने की रेलवे कोशिश करती है, सही नहीं है। इस दायरे में आप इसको देखें तो आप पायेंगे कि हिन्दुस्तान में रेलवे अपने किस्म की एक ही बैलफेयर इंस्टीट्यूशन है जो कि इतने ज्यादा अव्याहार की विद्यमान करती है

मैं मानता हूँ कि रेलवे में एक्सीडेंट्स को कम करना चाहिये। लेकिन इस आमले को भी अगर आप इस नुक्तेनिगाह से देखें कि हर रोज़ रेलवे को साठ लाख यात्री रेलवे में ले जाने पड़ते हैं तकरीबन 7 लाख टन भाल

हर रोज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, वह हजार ट्रेनें सात हजार स्टेशनों से चलती हैं, इन यात्रियों को आराम से पहुंचाना है, सही सलामत पहुंचाना है तो आप मानेंगे कि एक्सीडेंट्स का ट्रॉड कमी की तरफ है। 1964-65 में डिरेलमेंट्स लेवेल क्रांसिंज पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलिशंज होते हैं या रेल में कभी कभी आग लग जाती है उनकी तादाद 1293 थी जो कि 1972-73 में घटकर 815 रह गई। इसका मतलब यह है कि पिछले आठ नौ सालों में एक्सीडेंट्स में 37 परसेंट की कमी हुई है और उस के मुकाबले में रेलों का जो काम बढ़ा है वह 28 परसेंट बढ़ा है, माझलेज जो इसकी बड़ी है।

इसका मतलब यह नहीं कि जो हादसे होते रहे हैं उनको नजर आंदोलन कर दिया जाए। माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। साठ से सत्तर परसेंट तक जो एक्सीडेंट होते हैं वे हृद्यूमन केल्योर की वजह से होते हैं। मशीन कितनी ही कामयाब या अप्टूटेट क्यों न हो लेकिन मशीन के पीछे जो इन्सान है वही सब से ज्यादा कारामद होता है। अगर इन्सान मशीन के पीछे काम नहीं कर सकता है तो काम नाकारा हो जाता है एक एस्पेक्ट रेलवे सेफ्टी का यह है कि जो लोग गाड़ियां चलाते हैं जो सिंगलिंग इक्विपमेंट हैं, जो हमारा सेफ्टी एक्विपमेंट है, उसको हमने मार्डन बनाने की कोशिश की है और इन लोगों को ट्रेनिंग देने की भी कोशिश की है। आम लोगों को भी, जनता को भी सेफ्टी कांशंस बनाने की हमने कोशिश की है। यह पोस्टर्ज के जरिये, फिल्मों के जरिये अखबारों के जरिये जनता की तलकीन की जाती है कि सेफ्टी

एस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए उन्हें क्षमा करना चाहिये।

जहां तक लेवेल क्रांसिंज का सम्बन्ध है देश भर में तकरीबन चालीस हजार के करीब लेवेल क्रांसिंज हैं और ए बी सी कैटेगरी के हैं। एक मैड है, एक अनमैड है और एक अवैशियों के लिये है। बीस हजार के करीब अनमैड हैं। अगर इनको मैड कर दिया जाए तो उस पर तकरीबन साठ करोड़ रुपया खर्च होगा और पन्द्रह करोड़ हर साल उस पर रेकरिंग एक्सपेंडीचर होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह करना नहीं चाहते हैं। हमने पिछले पांच सालों में तकरीबन 350 से ज्यादा अनमैड लेवेल क्रांसिंज को मैड लेवेल क्रांसिंज में तबदील किया है। मैं चाहता हूँ कि मजीद ओवर और अंडर ब्रिज तामीर किए जाएं ताकि जहां रेलवे लाइन और सड़क आपस में मिलती हैं वहां पर एक्सीडेंट्स की तादाद कम हो सके। मैं एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ। रेलवे के पास एक सेफ्टी फंड है जिस में इस वक्त करीब 12 करोड़ पचास लाख रुपया है। वह रकम हम ने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए रखी है। जब भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है ओवर ब्रिज के लिए रेलवे लाइन पर पुल बनाने के लिए तो उस पुल का जो खर्च है वह रेलवे बरदाश्त करने के लिए तैयार है आधा अपने फंड से और आधा सेफ्टी फंड से लेकिन उसके दोनों तरफ की सड़कों पर जो खर्च होगा वह स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा और उसका आधा रुपया रेलवे देती है और आधा सेफ्टी फंड से मिलता है। यह जो सेफ्टी फंड है यह इसी के लिये है। आंग्रे ने 35 लाख लिया

[श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी]

है, उसको इतना एलाट हुआ है, तमिल-नाडु को 58.80 लाख, केरल को 15 लाख, गुजरात को 793.80 लाख, असम को 24.50 लाख, राजस्थान को 37.5 लाख। ये वे स्टेट्स हैं जिन्होंने मांग तो की लेकिन रुपये का स्तेमाल नहीं किया। बाकी किसी स्टेट ने रुपया नहीं मांगा। यहां तक यह हालत है।

हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं।

हम देने को तैयार हैं लेकिन मांगते वाला कोई ही नहीं।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkeezhu): The hon. Minister said about the unmanned level crossings. I would like to know as to how they determine whether it should be a manned or an unmanned level crossing. My constituency is a crowded constituency. Five people died last month because it was an unmanned one. I have also made a representation.

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : रेलवे विभाग के पास एक फार्मुला है जिस को मैं समझता हूं बदलने की जरूरत है।

SHRI VAYALAR RAVI: That is an old British formula. You must change it.

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : उस में यह देखा जाता है कि दिन में कितनी रेलें चलती हैं, कितनी गाड़ियां उस सड़क को क्रास करती हैं और उस को जरब देकर अगर उस की तादाद एक से तीन हजार हो जाती है तो उस बढ़त हम समझते हैं कि इसको मैड बनाया जाना चाहिये। यह जो फार्मुला है, इस को जनता और आम लोगों की जरूरतों के मताविक बदलने की जरूरत है और

इसको बदला जाएगा। जो कानून 1890 में यानी लगभग सौ साल पहले बना आज भी वही सही हो सकता है यह मैं भी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इसको बदलने की जरूरत है। मैं भी मानता हूं कि हालात के मुताबिक उस को चलाया नहीं जाएगा, बदला नहीं जाएगा, तो मुश्किलात होंगी।

कुछ लोगों ने रेलवे बोर्ड की सख्त शिकायत की है। हर बार मुझे रेलवे बोर्ड के मुतालिक कहना पड़ता है कि यह एक अच्छी जमात है टैक्नोक्रेट्स की, ये वे लोग हैं जो रेलवे में ही बड़े हैं और इन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन बदलिस्मती है कि हर बार जब भी रेलवे के मुतालिक बहस होती है, उसका पहला शिकार रेलवे बोर्ड को बनाया जाता है।

जहां तक मुआवजे का ताल्लुक है मैं बता दूं कि एकट बन्हने के बाद रूल इसके तहत बनेंगे उन रूल्ज के तहत मुआवजे की हद मुकरर की जाएगी मैं बाजह कर देना चाहता हूं कि यह लिखा हुआ है कि कम्पसेशन अपटू 50 हजार में सफाई करना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी की बदलिस्मती से रेलवे एक्सीडेंट की बजह से मृत्यु हो जाये तो उसको पनास हजार रुपया मिलेगा जहां पर हादसे की बजह से उम्म भर के लिये नाकारा हो जाये काम करने के लायक न रहे उसको भी 50 हजार रुपये दिये जाएं बाकी लोग जिस तरीके से उनके जरूर होंगे जैसे जिसको नुकसान पहुंचेगा उस हिसाब से उम्मको यह मुआवजा दिया जाएगा।

हम ने इन विन में एवं और बात भी है पहले कलेज्य कमिशनर कलेम का मेटल करने में काफी वक्त ले लेते थे। अब रेलवेज को यह अच्छायार होगा कि कलेम का फैसला होने से पहले वह हादिसों में मरने वालों या ज़ख्मी होने वालों को एडहाक पेंट दे सके, ताकि पहले जो तत्वालत होती थी, उस को कम कर दिया जाये।

प्रो० भृषु दंडवते (राजापुर) : करीब-करीब हर वक्ता ने दलील पेश की है कि रेल दुर्घटना में मरने वालों को केवल 50 हजार रुपये कम्पेन्सेशन क्यों दिया जाये, जब कि हवाई जहाज दुर्घटना में मरने वालों को एक लाख दिया दिया जाता है। मंत्री महोदय ने इस पर कोई रोशनी नहीं डाली है।

श्री भृषु दंडवते कृदेवी : किसी इन्सान की जिन्दगी की कोई कीमत नहीं मुकर्रर की जा सकती है। हम एक आदमी की जिन्दगी को 50 हजार रुपये या एक लाख रुपयों में तोलें, यह सही नहीं है। हम चाहे जितना भी ज्यादा मुआवजा दें इन्सान की जिन्दगी के मुकाबले में वह कुछ नहीं है। लेकिन एक कदम हम ने आगे बढ़ाया है। कम्पेन्सेशन को बीस हजार रुपये से बढ़ा कर 50 हजार रुपये किया है कम से कम हमें उस की तो दाद मिलती चाहिये।

हवाई जहाज के एक्सिडेंट्स में भी जो बारह साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको एक लाख रुपया मिलता है और बारह साल से कम उम्र वालों को 50 हजार रुपये मिलते हैं वहां भी डिस्क्रिमिनेशन है। जान तो बड़ों की भी है और छोटों की भी।

श्री बसंत साठे : उस की बजह यह है कि जो बारह साल से कम होते हैं, उनके कोई डिपेंडेंट्स नहीं होते हैं और बारह साल से ऊपर वालों के डिपेंडेंट्स होने की संभावना होती है। उस में तो कुछ तर्क है। इस प्राविजन में क्या तर्क है?

श्री मुहम्मद शाफ़ी कृदेवी : जो बारह साल का बच्चा होता है, वह मां वाप की उम्मीद होता है। उसका भविष्य होता है। वह ज्यादा कीमती होता है, बनिस्तव उसके, जो कमाता है।

अभी श्री तिवारी मुझे कह रहे थे कि कहीं इस कम्पेन्सेशन को ज्यादा एट्रेक्टिव न बना देना, वर्ना हम बूढ़ों की शामत आ जायेगी; जिस द्वेन में बूढ़ों ने सफर किया, उस को उड़ाने की कोशिश की जायेगी ताकि मुआवजा मिल सके। हमारी यह नीयत नहीं है। हम चाहते हैं कि दुर्घटनायें बिल्कुल न हों, हादसे कम से कम हों। लेकिन यह ऐसा विभाग है कि जिस में कभी कभी बद-किस्ती से दुर्घटना हो जाती है। हम ने जो कदम उठाया है, वह ईमानदारी और नेकनीयती से उठाया। मुझे यकीन है कि हाँ उस की ताईद करेगा।

स्वामी जी ने कहा है कि कुछ हादसे शराब पीने की बजह से होते हैं। मुझे इसकी कोई इतिला नहीं है। लेकिन एक बाब्या है कि दो शराबी लुढ़कते लड़खड़ाते स्टेशन पर आए। स्टेशन मास्टर ने उन पर रहम खा कर कहा कि उन को गाड़ी पर चढ़ाओ। गाड़ी जाने वाली थी। उन्होंने

[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी] बड़ी मुश्किल से एक आदमी को गाड़ी पर चढ़ा दिया, लेकिन दूसरा रह गया। दूसरे आदमी से पूछने लगे कि तुम कहाँ जाने वाले थे। उस ने कहा कि आप ने तो शराब कर दिया, जाने वाला तो मैं हूं, वह आदमी तो मुझे छोड़ने के लिए आया था। उन दोनों ने शराब पी रखी थी।

मुरम्किन है कि इच्छावर भी पीते हों। पैसेंजर भी पीते होंगे। अगर शराब पीने की बजह से कोई एक्सिडेंट हआ हो, तो बाकायदा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

हर रास्ते से —प्रासाम, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से—यह मांग की गई है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी न्यु डेल्ली से न्यु बोंगाई-गांव वाया भागलपुर, साहिवगज ला और फस्कका चलनी चाहिए। मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी है कि एक मेल गाड़ी हफ्ते में दो बार इस रास्ते पर 26 जनवरी से चालू की जायेगी। इस के अलावा एक मोटरगेज एक्सर्टेस ट्रेन न्यु बोंगाईगांव और गोहाटी के बीच चलाई जायेगी।

माननीय सदस्यों ने जितने भी पायदृस उठाये हैं, मैंने उन को कवर कर लिया है। अगर मैंने व्यक्तिगत तरीके से किसी मेम्बर साहब का नाम नहीं लिया, तो उस के लिए मैं माफी चाहता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह : इनशोरेंस ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहाँ तक इनशोरेंस का ताल्लुक है,—जमील साहब

ने भी उस का ज़िक्र किया है—, श्री हनुमन्तैया के वक्त से इन स्कीम की बात चल रही है। श्री पाई ने भी यह स्कीम चलाने की कोशिश की। लेकिन इस में कुछ उलझन है। अल्टीमेटली हम को इनशोरेंस को लाना पड़ेगा। इस के लिए कुछ वक्त दिया जाये। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद इसको लाना किया जाये।

[دبل ملتد، الہے میں اپ ملٹری (شیہد شہی تربیشی) : جناب قبیلی سہیکو صاحب 30 سے زیادہ مانندہ سدھوں کے اس بحث میں حصہ لے لیا ہے حالانکہ یہ ایک مختصر بدل تھا۔ اور مجھے خیال تھا کہ اس میں بحث کم ہوگی۔ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ تمام لوگوں نے اس کا سوتھن کیا ہے حالانکہ جب یہی دبلوے پر بحث ہوئی ہے تو تمام قسم کے مسلے اُنہائی جاتے ہیں۔ اور جو یہ س وقت میں انکا جواب دیتا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کی بات کی طرف۔ میں دعہمان دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو بدل ہم لائے ہوں وہ ایک اچھا قدم ہے۔ یہ لے جب کہیں ایکسپریسٹس ہوتا تھا تو کسی شخص کی آمدی نہ کی بیہاد پر معاونہ ملتا تھا۔ اکر کسی شخص کی آمدی 70 روپیہ یا اُس سے کم ہو تو جو چار ہزار معاونہ ملتا تھا اکر وہ مرو جائے تو اسی طرح 70 سے 100 روپیہ کی آمدی ہو تو 5 ہزار ملتا تھا اور جو سب سے لوٹھی

حد 20 ہزار کی ہوتی تھی وہ اُس صورت میں ملتی تھی جب کہ آمدنی 2 ہزار روپیہ کے ہو۔ اس طرح سے یہ جو بات تھی وہ ڈسکوں میلہ تری، تھی کہنکہ دولت کی پہاڑ پر معاوضہ مقرر کیا جاتا تھا۔ اُس حد تک میں سمجھتا ہوں اس مل کی داد دیلوں چاہیئے کہ دیلوے میں جو ایک ڈسکو میلشنا تھا آمدنی کی بلہاڑ پر معاوضہ دیلے کی جو بات تھی اسکو ختم کرنے ایک اچھا مل لایا کیا ہے اور آمیزش کی حد بھی بھائی گئی ہے۔ جو شخص دیل کے حادثے میں مارا چالیٹا اسکو 50 ہزار روپیہ ملہنکے اور ۴۰ میں بھی کے لئے ناکارہ مو جانہنا۔ زخم ہوا ہاتھ پھر کت جانیٹکے یا انکو نکل جانیٹکی تو اُسی حساب سے اسکو معاوضہ ملیٹا۔ اس میں ذوق اُمدنی کچھ بھی ہو۔ غریب ہو یا امہر ہو اُسکا سوال نہیں ہے۔

یہاں پر کچھ مانندیہ سذھیوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ اچھا قدم ہے لیکن 5 پہسے جو سوچ دیکھا کیا ہے وہ زیادتی کی ہے 'و' دیلوے اسی طرح سے زادہ دوپہر حاصل کونا چاہتی ہے۔ یہاں پر کئی باد تکڑا ہو چکا ہے کہ دیلوے جو وہ قوم کی امانت ہے قوم کی ملکیت ہے۔ یہاں کون کس سے لیتا ہے۔ کہن

کسکو لیتا ہے۔ اُس چھٹکے میں پرانے کی ضرورت نہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو سوچا جسے اُس میں آج چلتا تمام لوگوں کے دکھ دود میں شریک ہونے کے لئے چھوٹی چھوٹی دم اپنی جوہ سے دیکھی اور میں یقین ہے چلتا اس سوچا جسے پسلک کوپکی کیونکے یہ سمجھو کر دیکھی (دیوڈان) کر کرایہ تو بھا نہیں اور 5 پہسے جو ہم دیکھے وہ اس لئے ہے کہ انکو کوئی درکھتنا ہو گئی اور اُس میں کوئی بھائی ذخیر ہو گیا یا میں کہا اسکو معاوضہ دیلے میں کچھ ہمارا بھو حصہ ہو جانہنا۔ ایک تہرہ کلاس کا پیسلاجر بھی 5 پہسے ہے گا۔ میں سمجھتا ہوں ساجاود کی سب سے بڑی بہکت یہ بھی ہے (دیوڈان) میدرا خیال ہے اُس طرف کے لوگوں کو ساجاود سمجھانے میں کافی دیر لکھتکی۔ اس لئے وہ تورڑا سا صہر کوئی تو ملسا بھے کہ سمجھے جانہں۔ (دیوڈان) مہرا اس بات کو صاف کرنے کا مقصد تھا کہ دیلوے اس مل سے ایک اچھا قدم اٹھا دھی ہے لیکن یہ نہ میں جانہں کہ دیلوے اس سے کوئی دم حاصل کونا چلھتی ہے۔ جو بھی دم حاصل ہوگی میں سنن کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تمام کی تمام دم پیسلاجر ایسی نیتیز سیکھتی کی دوائیں کو مفہوم بدلانے میں، اچھا بنتے ہیں صرف کی

چائیگی - کسی اور کام پر وہ دوپتھے صوف نہیں ہوگا (وہدان) دیلوے میں 127 کروڑ دوپتھے ایک سو شل بدقن ہے۔ پچھلے کئی ورشوں سے عام طور پر خیال ہے کہ ہم پیسٹجگر ترینک ہیں پارس ترینک سے، وچلک ترینک سے پہنسے کماتے ہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے بلکہ کوچلک ترینک پر ہر سال ہمارا 63 کروڑ دوپتھے کا گھاٹا ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کم کراپیہ لھتے ہوں۔ دنہا میں سب سے کم کراپیہ یہاں پر ہے۔ اگر آپ اسکو بوہانا چاہتے ہیں تو آمدنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے تقیریماً 55 کروڑ دوپتھے دیلوے کو نقصان ہوتا ہے۔ مذکورہ مرتقبائندہ یا ایسی قسم کی جو عام لوگوں کے استعمال کی چیزیں ہیں انکو لایے میں اسکا بھی کراپیہ اگر بوہا دیں تو ہماری آمدنی بوجھ سکتی ہے لور جو گھاٹا دیلوے کو ہوتا ہے اسکو پورا کر سکتے ہوں۔ کہونکہ عوام کے فائدے کی جو چیزوں ہیں۔ عوام لوگوں کو جن سے فائدہ پہنچتا ہے وہاں دیلوے۔ نہیں سوچتی ہے کہ اس سے اتنا دوپتھے کھانا ہے۔ بلکہ جلتا کا فائدہ کس میں ہے اسکو دیکھتی ہے۔ اس واسطے نقصان کروڑ کا نقصان بھی ہم برداشت کرتے ہوں۔

تقیریماً 7 کروڑ دوپتھے انکونامک برانچ ٹریز چلانے پر ہم کو نقصان کا اٹھانا ہوتا ہے۔ اگر انکو بدھ دیں

تو یہ بچ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ جلتا کو اس سے تکلف ہوگی اس واسطے ہم خود کو تکلف کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے تقیریماً ایک ارب 27 کروڑ دوپتھے دیلوے کو ہر سال سو شل میٹر کے طور پر برداشت کرنا پوتا ہے۔ اسکو 14 کروڑ دوپتھے دیلوے پر ہر سال خوج کرنا پوتا ہے۔ اور تقیریماً 20 کروڑ دیلوے کو رہنمایہ دیلوے کی هستہ پر ہے ہاتھوں پر دوانہوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تقیریماً 11 کروڑ دیلوے کے جو ملازم ہیں انکے بچوں کو زعامہ پر وہ خرچ کرتی ہے۔ اس واسطے الزام لکانا کہ اسی طرح سے پہنسے بتودنے کی دیلوے کوشش کرتی ہے سہی نہیں ہے۔ اس دائیس میں آپ اسکو دیکھیں تو آپ پانچھلے کے ہلدوسٹان میں دیلوے اپنے قسم کی ایک ہو دیباخوا نسٹوچواہشن ہے جو کہ اتنے زیادہ عوام کی خدمت کویو ہے۔

میں ماندا ہوں کہ دیلوے میں ایکسپریس ٹرینوں کو کم کونا جاہنہہ۔ لیکن اس معاملے کو بھی ایک آپ اس نقطہ نکالتے ہیں کہ ہر دو دیلوے کو 60 کم یا تریجی دیلوے میں لے جائی بوتے ہیں۔ تقیریماً 6 لاکھ تن مال ہر درجہ ایک چمکے ہے۔ دوسری چمکے لے جانا پوتا ہے۔ دس ہزار ترینلہیں سات ہزار ستھنے اور سے چلتی ہیں۔ اسی پاتریوں کو آدم سے بہمعہانا ہے۔ سہی

ست د - تو اپنے مانہیلکے
 کے ایکٹوپریلائس کا ترند کمی کی طرف
 ہے 1964-65 میں تیرپیلمہلائس
 لہول کراسنگ پر جو ایکسی قلنیس
 ہوتے ہیں - جو کولیشلز ہوتی ہیں -
 دبیل میں کبھی آگ لگ جاتی
 ہے اسکی تعداد 1293 تھی جو کہ
 1972-73 میں کمٹ کر 815 دئی گئی
 ہے - اسکا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 8-9
 سالوں میں 37 پرسیدت کی کسی
 ہوتی ہے - اور اسکے مقابلے میں دبیل
 کا جو کام بوجا ہے دئی 28 پرسیدت
 بوجا ہے مابین جو اسکی بوجی ہے -
 اسنا یہ مطلب نہیں کہ جو حدیث
 ہوتے ہیں انکو نظر انداز کر دیا جائے -
 مانہیئے سدھیوں نے اچھے سمجھاوائی
 ہیں - 60 سے 70 پرسیدت تک تو
 یکسی قلت ہوتے ہیں وہ ہو وہیں
 فہرست کی وجہ سے ہوتے ہیں - مشہون
 کتنی ہی کامہاب یا ایکٹوپریل
 کوں ہو لوہن میہن کے پیچھے جو
 انسان ہے - وہی سب جس زیادہ کار آمد
 ہوتا ہے - اگر انسان مشہون کے
 پیچھے کام نہیں کر سکتا تو کام
 ناکارہ ہو جاتا ہے - ایک اسمیت
 دبیلے سینٹی کا یہ ہے کہ جو لوگ گاریاں
 چلاتے ہیں جو سیکلٹک ایکٹوپریلائیٹ
 ہے جو جو مبارا - مٹی کوکھیلائیٹ ہے
 اسکیوں میں نے مالتوں بیٹھنے کی کوشش
 کی ہے لود لود لوگوں کو توبیلٹک
 دیتے کہوں کوئی کوشش کی ہے، عام

لوگوں کو بھی و جلتا کو بھی سہلتی
 کا نہیں بلائی ہے کی ہم نے کوشش کی
 ہے پوسٹر کے ذریعے - لوگوں کے ذریعے
 اخہاروں کے ذریعے جلتا کو تلقین کی
 جاتی ہے - کہ سینٹی ایسپیڈت کو
 برقرار رکھنے کے لئے انہیں کہا
 کرنا چاہئے ہے -

جہاں تک لہول کراسنگ ہے
 سینڈ ہے دیہش پھر میں تلویہ
 40 ہوا کے قریب لہول کراسنگ
 ہیں اور اے ڈی - سی کلکٹریوں کے
 ہیں - ایک سہنڈ ہیں ان ایک سہنڈ
 ہیں - اگر آنکو میں کر دبا جائے تو
 اس پر تقریباً 60 کروڑ دوپہر خروج ہوگا
 اور 15 کروڑ ہو سال اس پر دیہنک
 ایکسپلیٹ یوجہر ہوگا - اسکا مطلب یہ
 نہیں ہے کہ ہم یہ کونا نہیں چاہتے
 ہوئی - ہم نے پچھلے 5 سالوں میں
 تقریباً 350 سے زیادہ ان سہنڈ لہول
 کراسنگ کو سہنڈ لہول کراسنگ
 میں تبدیل کیا ہے - ہم، چاہتا
 ہوں کہ مزید اور انقو بہج تعمیر کئے
 جائیں تاکہ جہاں دبیلے لائیں اور
 سوک اپسیں میں ملٹی ہیں وہاں
 پر ایکسی قلنیس کی تعداد کم ہو
 سکے - مہر، ایک بابت ضرور میرض
 کرنا چاہتا ہیں - دبیلے کے پاس
 ایک سہنڈی لائے ہے جس میں اس
 وقت تریب 12 کروڑ 50 لاکھ دوپہر
 ہے - یہ رقم ہم نے، سیویٹ کوونٹی
 کے لئے دکھنے ہے - جب بھی ستھت

کوونسپک کی طرف سے دیکھویست آئی
ہے اور برج کے لئے - (بلوے)
اُن پر بل بلانے کے لئے تو اس پل
کا خرچہ یہ ہے وہ (بلوے) برداشت
کرنے کے لئے تھا ہے - آدھا اپنے فلت
سے اور آدھا سینٹی فلت سے لہکن اس
نے دونوں طرف کی لوگوں پر جو
خوجہ ہوگا وہ ستھت کوونسپک کو
قونا ہوگا اور اسکا آدھا ووپہمہ (بلوے)
دیتی ہے - اور ادھا سینٹی فلت کے
ملتا ہے - یہ جو سینٹی فلت ہے -
یہ اس کے لئے اُردو اپنے 50 لاکھ لہا
ہے اسکو اتنا انت ہوا ہے - تامل
نادو کو 58.80 لاکھ - کھول کو 15.
لاکھ کمپانیات کو 79.8 لاکھ - آسام کو
24.50 لاکھ راجستان کو 37.5 لاکھ -
یہ وہ ستھن ہیں جلموں تے مانک
تو کی لہکن ووپہمہ کا استعمال نہیں
کہا باتی کسی ستھت نے ووپہمہ
نہیں مانکا بہان تک یہ حالت ہے۔

ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل
ہی نہیں - ہم دیلے کو تھا ہیں
لہکو مانکلے والا کوئی نہیں ہے۔

SHRI VAYALAR RAVI: The hon. Minister said about the unmanned level crossings. I would like to know as to how they determine whether it should be a manned or an unmanned level crossing. My constituency is a crowded constituency. Five people died last month because it was an unmanned one. I have also made a representation.

شروعی محمد شفی قریبی - (بلوے)

وہاگ کے پاس ایک فارمولہ ہے جس
کو مہن سمجھتا ہوں بدلانے کی
ضرورت ہے -

SHRI VAYALAR RAVI: That is an old British Formula. You must change it.

شروعی محمد شفی قریبی - اس مہن

یہ دیکھا جانا ہے کہ دن مہن کتنی
ملہن چلتی ہیں کتنی اس سوک کو
کراس کرتی ہوں - اس کو دوپنچھے
کر اور اسکی تعداد ایک سے تینی ہزار ہو
جاتی ہیں - تو اس وقت ہم یہ سمجھتے
ہیں کہ اسکو فہرست بنا لایا جانا چاہیے
یہ جو فارمولہ ہے اسکو جلتا اور
عام لوگوں کی صورتوں کے مطابق
بدلے کی ضرورت ہے اسکو بدلا جائیں۔
جو قانون 1890 میں یعنی لک بھک
100 سال پہلے بنا آج بھی وہ سہی
ہو سکتا ہے یہ مہن بھی نہیں مانتا۔
میں ملنگا ہوں کہ اسکو بدلے کی
ضرورت ہے مہن بھی مانتا ہوں کہ
حالات کے مطابق اسکو بنا لایا نہیں
چھٹا - بدلا نہیں جائے گا تو مشکلات
ہونگی -

کچھ لوگوں نے (بلوے) بروڈ کی
ستھت شکل کی ہے - ہر ہاڑ مخفف
بلوے بروڈ کے متعلق کہلا ہوتا ہے کہ
یہ لک اچھی جماعت ہے قیامو
کویسی کئی یہ وہ لوگ ہیں جو

دیلوے مہن ہی بوجھ مہن اور انہوں
 نے اچھا کام کیا ہے - لیکن بدقدسستی
 ہے کہ ہر بار جب بھی دیاواے کے
 ستعلق بحث ہوتی ہے اُسکا پہلا شکار
 دیلوے بورڈ کو بلایا چانا ہے۔

جہاں تک معاوضے کا تعلق ہے
 سہیں بتا دوں کہ ایکٹ بمانے کے بعد
 دول انکے تحت بدیلکے - اُن دول کے
 تحت معاوضے کی حد مقرر کی
 چاہئی - مہن واضح کر دینا چاہتا
 ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کمہنسہشی
 اپن تو 50 ہزار، مہن صفائی کرنا
 چاہتا ہو کہ اگر کسی آدمی کی
 بدقدسستی سے دیلوے ایکسپریس نت کی
 وجہ سے مرتو ہو جائے تو اُسکو 50 ہزار
 تک روپیہ ملہنا - جہاں پر حادثے
 کی وجہ سے عمر بھر کے لئے ناکارہ ہو
 جائے کام کرنے کے لائق نہ ہے اُسکو بھو
 پیچاس ہزار روپیہ دئے جائیں گے - باقی
 لوگ جس طریقے سے انکے زخم ہونے کے
 جوئے جسم کو نقصان پہنچھانا اُس
 حساب سے ہتھو یہ معاوضہ دیا جائیں گا۔

ہم نے اس بہ میں ایک ادو
 بات بھی کی ہے - پہلے کلیم کھلتو
 کلیم کو سختی کرنے میں کالی وقت
 لے لئی تھا۔ اب دیلوے کو یہ اختیار
 ہوا کہ کلیم کا فوصلہ ہوئے ہے پہلے وہ
 حادثوں میں مولے والوں یا ذخیرے
 ہوئے والوں کو ٹھیک کرنے میلتا ہے
 سمجھنے کا ہے جو طولانی ہوتی ہے
 اُنکو کم کر دیا جائے۔

پرو ۰ میٹر دُبھتے (راجापुर) :
 کریب کریب ہر بکتا نے یہ دلیل
 پہنچ کی ہے کہ ریل دُبھتانا میں مرنے
 والوں کو کے ول پھاس ہجڑا رہ پیدے
 کارپنے لئے کھرے دیا جائے، جوکہ ہجڑا
 جہاں کی دُبھتانا میں مرنے والوں کو
 ایک لاخ رہ پیدا دیا جاتا ہے ।
 مرتی مہو دی ہے اس پر کوئی روشنی نہیں
 ڈالی ہے ।

شروع محدث شفی قریشی : کسی
 انسان کی زندگی کی کوئی قیمت
 نہیں مقرر کی جا سکتی ہے - ہم ایک
 اُدیسی کی زندگی کو 50 ہزار روپیہ میں
 تولیں یہ سہی نہیں ہے - ہم چاہیں
 جتنا بھی معاوضہ دیں انسان کی
 زندگی کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں
 ہے - لیکن ایک قدم عم نے اگئے بوها یا
 ہے - کمہنسہشیں کو 20 ہزار روپیہ سے
 بورہ کو 50 ہزار روپیہ کیا ہے - کم سے
 کم میں اُسکی تو داد منی چاہئے۔

ہوانی جہاز کے ایکسپریس میں
 بھی جو 12 سال سے زیادہ عمر کے
 لوگ ہیں انکو ایک لاکھ روپیہ ملتا
 ہے اور 12 سال سے کم عمر والوں کو
 50 ہزار روپیہ ملتے ہیں وہاں بھی
 ڈسکریمینیشن ہے - جان تو بورے کی ہے
 اور چھوٹوں کی ہے -

بھی جسنت لاثا : اس کی وجہ
 یہ ہے کہ جو بارہ سال سے کم
 ہوتے ہیں، ان کے کوئی ڈیپوٹس نہیں
 ہوتے ہیں بھی بارہ سال سے اُندر

वासी के डिपेंडेंट्स होन की सम्भावना दर्शाती है। उस में तो कृत हक्क हैं। इस प्राविजन में क्या तर्क है?

ش्री مصطفى شفی قریبی: जो 12 साल का बच्चे होता है वो मान बाप की अमेद होती है। अस्का निवारण होता है। वो 'जियाद' तभीति होता है बल्स्मित अस्के जो कहाता है।

ابिही श्री तेवारी مजह्मे कहे रहे थे तो कहीं इस कहिलोस्मिन को 'जियाद' अतिकर्त्र ने बदा दिला दिए हैं बोझों की शामत आ जानिकी। जस त्रिन में बोझों ने स्फुर कहा अस्को आराम की कश्शुर की जानिकी ताके माराफ़े में स्के। हार्दि ये नहीं नहीं है। मौज जाहती हीन के द्रक्षेत्रानीन बालक ने हूँ। ये ऐसा दिलाक है कि जस में किहीं ने किहीं बदक्षमती से द्रक्षेत्रानी हो जाती हीन। हम ने जो उप्रान्ती हीन 'जियादात' लूँ नहीं नहीं है अनेकाया है। मजह्मे यत्कौन है कि अस्क अस्की तात्त्विक कृपिता।

सौम्य जी ने कहा है कि कृपे हार्दि जाहिर शराब योग्यता की वजह से होती है। मजह्मे इसकी कौनी इत्ताम लेहन है लेकिन ऐसका वाला है कि दो शराबी लोगोंकी लोक्योंतर स्टेफ़न नहीं थे और अन्ये स्टेफ़न नहीं थे कि वह कहा क्यों

कहा कि अन को कारी बर जोहरा - कारी जाले वाली नहीं अन्होंने भवि मिश्कल से एक अद्वाने को कारी बर जोहरा दिया नहीं दिस्वारा वो कहा, दूसरे अद्वाने से बोजहिले लिखे कि तम कहां जाने वाले तो अन ने कहा कि अप ने तो ग़ذब कर दिया - जाने वाला तो मैं हूँ वो 'अद्वाने' तो مजह्मे जोहरने के लिए आया तो आया - अन दूनोंने ने शराब भी लेकी तोही -

मिश्कल है कि द्राविदों भी यहीं बोज्ये हैं। जिह्वालेहर भी यहीं होते हैं। एक श्राव यहीं बोज्ये होते हैं। कौनी एक्सेस्ट्रानीक होता है तो बाजान्दा कादूलीकी अनु जानिकी।

हर त्रौफ से अस्म - बहाद - हल्काल, और अजिसे से ये मानक की कीमी है कि एक तेह दफ्तर दारी नहो दहली से नहीं बोन्कानी कालूं वाली बाल्क्षेहर - माहिब लक्ज लोप और फ़राउद्दु चल्ली जाहीर - मजह्मे ये अमल करते होते खर्शी है कि एक महल कानी हठ्ठी हैं दोबला अल दास्ते हर 26 ज्लूरन से चालू की जाती है। अस्ते हठ्ठी एक महिला की जाती है। त्रिवेणी नदी बोन्कानी कालूं और कौहानी के बीच चलाई जानिकी -

मल्लिये सिस्सिये ले, जल्ली भी, जोन्लिस, अनेक भूमि जीज ले लो यो बुद्ध यो लेहा ये लक्ज जीहे ने एक बिक्किये

ٹریک سے کسی مہیر صاحب کا نام نہیں
لہا تو اس کے لئے میں معافی
چاہتا ہوں -

شیخ رکھن دہلی : اینسٹرائیس

شیخ مصطفیٰ شدی تربیعی - جہاں

تک انھوں کا تعلق ہے جوہل
صاحب اس کا لگو کہا ہے - شیخ
ہو سکتا کے وقت سے اس سکھم کی بات
چل ہے ہے - شیخ پاٹی نے ہوئی
ہے سکھم چالنے کی کوشش کی -
لہکن اس میں کچھ اُنچیلہیں
ہوں - اُنچیلہیں ہم کو
انھوں کو لانا پڑھیا - اس کے لئے
کچھ وقت دھا جائے - ہو سکتا ہے کہ
کچھ وقت کے بعد اس کو لگو کہا
جائے

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, be taken into consideration."

The motion was adopted

Clause 2—(Amendment of section 32A).

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up the clauses. There are amendments to Clause 2. Are you moving?

SHRI B. R. SHUKLA (Bahrach): I beg to move:

Page 1, line 7—

add at the end,—

'and the following "Explanation" shall be added, namely:—

Explanation.—A person who suffers a loss or damage due to illegal strike of railway administration employees, shall also be eligible to receive compensation within the meaning of this section.' (1)

SHRI R. R. SHARMA: I beg to move:

Page 1, line 7,—

for "fifty thousand rupees" substitute—

"One lakh rupees" (3)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

Page 1, line 7,—

add at the end,—

'and the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the amount of compensation for injuries shall not be less than five thousand rupees." (7)

MR. DEPUTY-SPEAKER: These amendments are now before the House.

15.56 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY in the Chair]

भी भय सिलवे (बांका) : सप्ताहपति महोदय, सुभावदा एक लाख रुपया क्यों होना चाहिए, इसके बारे में सभी वक्ताओं ने दलीलें दी हैं। जो मुसाफिर इंडियन एयरलाइन्स से प्रवास करता है, वह भी इन्सान है और जो रेल से प्रवास करता है, वह भी इन्सान है, इसलिए ट्रेन से जर्में वाले इन्सान और हवाई अहाज से उड़ने वाले इन्सान की जान का मूल्य एक होना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय इस बात को नहीं भानते हैं।

[श्री के० एन० तिवारी]

एक और बात है, जिस की ओर इस सदन का ध्यान नहीं गया है। मंत्री महोदय ने मुआवजे की रकम को पचास हजार रुपये तक बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा है कि जो दुर्बंधना में मर जायेंगे, उन सब को पचास हजार रुपये दिये जायेंगे। इस में “अप टु” कहा गया है। मंत्री महोदय ने एक तो इंडियन एयरलाइन्ज के प्रवासी और रेल के मुमाफिर के बीच भेद किया है और दूसरे, मुआवजे की रकम को निर्वाचित करने का अधिकार अपने हाथ में रखा है।

मेरा अरंप है कि मंत्री महोदय जगलरी गरते हैं। अगर अप पिठने स्टैटिस्टिक्स को देखे, तो पता चलेगा कि पहले भी सब लोगों को कम्पेनेशन समान रूप से नहीं दिया जाता था। तीसरे दर्जे के यात्री को बहुत मामूली, फट्ट क्लास के यात्री को ज्यादा और शायद एयर-कॉडीलन के यात्री को अधिकतम मुआवजा दिया जाता था। इस लिए मेरे प्रश्न का मंत्री महोदय सीधा जवाब दें कि जो पचास हजार रुपये की रकम रखी जा रही है, क्या उस में भी इस सरकार की वर्ग-व्यवस्था और वर्ग-व्यवस्था चलेगी, या सब लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जायेगा। मंत्री मोदी की इस बात की सकाई और स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए।

श्री श्री० आर० शुक्ल : समाप्ति महोदय, अभी तक रेलवे एक्ट में जो प्रावधान है, उस के अनुसार मुआवजा सिर्फ रेल दुर्बंधना में—जैसे दो ट्रेनों की टक्कर या ट्रेन

की डीरेलमेंट में—दिया जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सारे रेलवे सिस्टम में अप्राप्तकर्ता का बातावरण फैला हुआ है। रेलवे कर्मचारी बड़े व्यापक रूप से हड़तालें कर रहे हैं, जिस की वजह से रेल के द्वारा जो समान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उसको काफी अति पहुंचनी है। इसके अलावा इन हड़तालों की वजह से यात्री अपने स्थानों पर समय के अनुसार नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लोग रोगी हैं और किसी दवा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं अगर रास्ते में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उन्हें रुकना पड़ा तो दिल की गति रुक जाने से या और कारणों से उन की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रलार की तरह तरह की कठिनाइयां हैं। मीजूदा प्रावधान में इस तरह से जो अमुविधाएं, मृत्यु या आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं उन के लिए मुआवजा देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए मैंने एकसल्लेशन के तौर पर यह सुझाव दिया है कि —

“A person who suffers a loss or damage due to illegal strike of Railway Administration employees shall also be eligible to receive compensation within the meaning of this section”

मैंने जो मीजूदा प्रावधान है उस की सीधा को अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया है और वक्ताश्वरों ने प्रथम वाचन में इस विषेयक के ऊपर अपने विचार जो प्रकट किए हैं उन सब लोगों ने एक स्वर में एक मत से इस बात को सदन के सामने रखने का प्रयास

किया है कि हड्डतालों के कारण एक बड़ी भारी अव्यवस्था पदा हो रही है.....
 (व्यवधात)इस का सम्बन्ध इस से है। मैं इस को और व्यापक कर रहा हूँ। इसलिए इस एक्सज्जेनेशन को देने की जरूरत है।

SHRI MADHU LIMAYE: Let us not divert attention from this single most important idea.

16 hrs.

SHRI B. R. SHUKLA: This amendment has been admitted and unless I say this thing by way of explanation, my amendment will have no relevance.

दूसरा एक संशोधन मैंने और दिया है कि दो सक्सेसिव सेशन में रूल्स को रखा जाय उस के लिए भी जूदा विधान यह किया जा रहा है कि दो या इस से अधिक सेशन में रखा जायेंगे तो मैं चाहता हूँ कि केवल दो सक्सेसिव सेशनों में ही रखना काफी होगा।

श्री रामरात्न शर्मा (बांदा) : मैंने इस बिल में अपने दो संशोधन दिए हैं। एक में मैंने यह कहा है कि 50 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपया कर दिया जाय। जैमा कि यहाँ पर मेरे व्याल से पूरे सदन की यह राय है कि आदमी आदमी के अन्दर विभेद नहीं किया जा सकता, वायुयान की दुर्घटना में भी कोई व्यक्ति मरता है और रेलवे की दुर्घटना में भी कोई मरता है तो आदमी जो मरता है उस के डिवेंडेंट सफर करते हैं। उस में उस के बीच में आप कोई रखा नहीं सकते। इसलिए वायुयान

की दुर्घटना में एक लाख परा मिलता है मरने वाले के आश्रितों को तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस को भी एक लाख रुपया करने की कृपा करें। मंत्री महोदय ने अभी जवाब देते हुए यह कहा था कि वायुयान में यह नियम है कि 12 साल से कम उम्र का जो लड़का होगा उसको 50 हजार रुपये मिलेगा तो मैं उन का यह संशोधन मानने के लिए भी तैयार हूँ। अगर वह चाहे तो यह संशोधन इस में भी कर दें कि रेलवे की दुर्घटना में भी 12 साल या उस से कम उम्र का बच्चा करेगा तो उस को 50 हजार रुपया दिया जायगा। इसी स्थान पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अप टू जो बड़े हैं इस को इस ऐक्ट में ही सुधार दें, रूल्स के लिए न रखें। अगर रूल्स में रखा जायगा तो यह डिस्क्रीशन गवर्नरमेंट का होगा। फिर पालियरमेंट के हाथ में इस तरह से वह नहीं रहेगा। फिर तो कम्पनेसेशन एथारिटी जो कम्पनेसेशन फिलम करती है उस के ऊपर यह रहेगा कि कितना वह फिल्स करे और फिर वह कम्पेल्ड नहीं रहेंगे कि इतना रुपया वह है। इसलिए इस अप बड़े को हटाने की आवश्यकता है।

अपने दूसरे संशोधन में मैंने कहा है कि जहाँ पर दो सक्सेसिव सेशन के स्थान पर ज्यादा सक्सेसिव सेशन में कर दिया गया है वह अगर इसी तरह रहा तो पता नहीं कितने सब निकल जाएंगे और वह रुल रखे नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने दो या ज्यादा से ज्यादा तीन सेशन की बात कही है।

[श्री राम रत्न शर्मा]

यह बहुत ही रीजनेबल अमेंडमेंट है और मैं मंत्री महोदय से आग्रह करका कि इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरे दो संशोधन हैं। पहला संशोधन यह है कि मुश्किलों की रकम 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी जाये। इस के बारे में मंत्री महोदय ने जो दलील दी है वह बिलकुल लचर और नैतिक मूल्यों के विवर है। ठीक ही सदस्यों ने कहा कि जान सबकी बराबर है। मंत्री जी ने श्री यही कहा कि जान सबकी बराबर है। तो मुश्किलों ग्रलग ग्रलग क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सरकार को जो वर्ग चरित्र है पूँजी वादी वर्ग-चरित्र उसी चरित्र का प्रत्यक्ष इस 50 हजार और एक लाख के तफकों में किया गया है। सरकार पूँजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है, धनी लोगों को सहायता देना चाहती है। हवाई जहाज में जो सफर करते हैं वे बड़े लोग हैं या ज्यादा पैसा खर्च करके टिकट खरीदते हैं और रेल गाड़ी से गरीब चलते हैं जो कि भूखे और नंगे हैं इस लिए उनके मुश्किलों में यह अंतर सरकार रख रही है। तो ऐसे लोग वर्तमान पूँजीवादी समाज में समाजवाद के अधिकारी नहीं हो सकते। इसीलिए यह तफरकातर रखा गया है और इस तफकों का भूल कारण वही है कि इस सरकार का वर्ग-चरित्र ही ऐसा है जिस से वह ऐसा तफकी रखना चाहती है।

दूसरी बात जो मैंने कही है वह यह है। इन्होंने कहा कि 50 हजार देंगे जो मरेंगा उसको यार्ज मरने की ये दावत दे रहे हैं कि

तुम मरोगे तब तुम की 50 हजार देंगे। लेकिन जिनका हाथ कट गया, सिर में छौट आ गई उन के लिए कोई कम से कम राशि निर्धारित नहीं की है। आप टू कह कर छोड़ दिया गया है। अफसर लोग किन्हीं को दी हजार देंगे, दो सौ देंगे या एक सौ देंगे, इस तरह से कर के उन को कुछ भी देंगे नहीं लेकिन आंतू रोड़ने के लिए वह कहेंगे कि हम उन को मुश्किल दे रहे हैं। इस लिए मैंने निश्चित सुझाव दिया है। मान लीजिए हमारी उगली कट जाए एक बार मेरी ऊंगली कटी है, इस लिए मैं कह रहा हूँ

- एक सान्त्रीय सदस्य : क्या मिला।

श्री रामावतार शास्त्री : कुछ भी नहीं। तो इस दूसरे संशोधन के द्वारा मैं यह चाहता हूँ कि जो मामूली छोट दुष्टिनाथों में किसी को लगे उन को कम से कम आप लाख हजार रुपया जरूर दीजिए। उससे कम रकम किसी को न दी जाए। जिन की मृत्यु हो जायेगी उन को तो आप 50 हजार देने, हम एक लाख के लिए कह रहे हैं और जिन्हें मामूली छोट आणी उन के लिए आप रुपये देनें और रुपये में कभी भेजें कि दो सौ रुपया देने एक हजार देंगे या एक सौ देंगे। इस लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इन दोनों संशोधनोंकी स्वीकार कीजिए अगर सही मान में समाजवाद की बात करना चाहते हैं। समाजवाद पर हम लोगों को लैक्चर मंत्री महोदय न दें। हम लोग तो जिन्हाँ भर दूसरों को लैक्चर देते रहे हैं, आप को भी देंगे। समाजवादी दोस्तों के साथ अभी आपकी दोस्ती हो रही है, वह हो, उस का हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके नाम पर्म हमें लैक्चर न देंकर उस

को करिए तभी जनता समझेगी कि सिद्धांत और व्यवहार में आपका तालमेल बैठाने का विचार है।

श्री भृहस्पद शक्ती कुरंशी : सभापति जी, मैंने यह बात पहले ही साफ कर दी थी लेकिन मुझे अफसोस है कि उस के बावजूद भी हमारे शास्त्री जी हम पर इस कित्म के इत्तजाम लगाते हैं कि हम पूँजीवाद की उदादा हिमायत करते हैं और ऐसे ही बिल यहां पर लाने हैं जिससे पूँजीवाद को फायदा पहुँचे। मुझे तो यह लगता है कि अरज इई निर्दि के जो हालात हैं, शास्त्री जी की रक्षार जमाने से बिलकुल बेखबर हैं। आज हिन्दुस्तान के समाजवाद की तारीक न मिर्क यहां के लोग बल्कि बाहर की दुनियां के लोग भी करते हैं। आप उस से भी इक्षितलाफ करते हैं तो यह दूसरी बात है।

हमारे मधु जी ने कहा कि जो कम्पैस्टे बन हैं वह ज्यादा होना चाहिए—कुछ वर्ग व्यवस्था और वर्ष व्यवस्था का भी जिक्र किया। मैंने पहले भी बताया था कि यह 20 हजार रुपये का जो प्रावीजन या न वह किसी वर्ग व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की दुनियाद पर नहीं था। उस यह था कि अगर किसी आदमी की आमदानी 70 रुपये होगी या 70 रुपये से कम होगी . . .

श्री भृदु लिमेय : यह वर्ण व्यवस्था नहीं तो क्या है?

श्री भृहस्पद शक्ती कुरंशी : हम ने इस को भी खत्म कर दिया है—अब तो जो आदमी मरेगा—बिला वर्ग या वर्ण का लिहाज किये—उस को मुआवजा मिलेगा।

मधु जी ने एक बात यह कही कि बिल मैं आपने रखा है—अप टू 50 हजार दिया

जायेगा। इस का मतलब यह है कि 50 हजार से कम भी मिलेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ—इस लिए रूल तैयार हो गये हैं और मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूँ—बे रूल मेरे सामने हैं और मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ जो शख्स दुर्घटना में मर जाएगा या हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा या नाकारा हो जाएगा, उस को 50 हजार रुपया मिलेगा

एक सावनीय सवाल : अगर हाट फेल हो जाए।

श्री भृहस्पद शक्ती कुरंशी : मौत की तरीह नहीं की है।

श्री रामरत्न शर्मा (बांदा) : आप 1 लाख करेंगे या 50 हजार करेंगे—यह पास नहीं हुआ है, फिर रूल्स आप के पास कहां से आ गए।

श्री भृहस्पद शक्ती कुरंशी : यह कोई नयी बात नहीं है—यह 1890 के एकट में तरमोम है। उस में हमारे पांस रूल बनाने की ताकत है, वह ताकत हम से छीनी नहीं गई है। उस के तहत हम ने जो नियम बनाये हैं, उस में 50 हजार रुपये यदि आदमी मर जाय, नाकारा हो जाय उस को मिलेगा। अगर किसी का दांधा बाजू और उसके ऊपर का पूलरा हिस्सा चला जाय तो 35 हजार रुपया, अगर लैफ्ट हैंड] है तो भी 35 हजार रुपया मिलेगा। बांधा बाजू चला जाय 20 हजार रुपया मिलेगा अगर किसी का सहादत की ऊंगली-चलो जाय तो 5 हजार रुपये और दूसरा उग लियों के लिए 2000 रुपये मिलेंगे। इन तरह के नियम हमने बनाये हैं।

[شروع محدث شنی قریبی] - سہما

پڑی جو - مہر نے یہ بات پہلے ہی صاف کر دی تھیں لہکن مجھے اُد - دس ہے - اُبکے باوجود بھی ہمارے شاستری چو، ہم ہو اس قسم کے الزلام لکاتے ہیں کہ پونچی واد کو یادہ حمایت کرتے ہیں اور ایسے ہی مل بھل ہو لاتے ہیں - جس سے پونچی واد کو فائدہ پہلچے - مجھے تو یہ لکتا ہے کہ آج اُد کو د کے جو حالات ہیں شاستری چی زمانے کی دفتار سے بالکل ہے خدو ہیں - آج ہندوستان کے سماں واد کی تعییف نہ صرف بھاں کے لوگ بلکہ باہر کی دنیا کے لوگ بھی کرتے ہیں - آپ اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں - تو یہ دوسری بات ہے - ہمارے مددو جی نے کہا کہ جو لہو ہے وہ زیادہazona چاعزی ہے - کچھ دو گ دیوستھا اور دون دیوستھا کا بھی ذکر کہا - مہن نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 20 ہزار دوہنچہ کا جو پروپریتیں تھا وہ کسی دو گ دیوستھا یا دون دیوستھا کی بلہاد پر نہ ہر تبا اسموں یہ تھا کہ اکر کسی اُدمی کی آمدنی 70 دوہنچہ ہو گئی ہا 70 دوہنچہ سے کم ہو گی.....

شیخ محدث شنی قریبی : یہ نہیں تھی کہا تو کیا ہے

شیری محمد شنی قریبی] - ہم نے
اس کو بھی ختم کر دیا ہے - اب تو جو اُدمی موبیکا بلے دو گ ہا دون کا لحاظ کئے - اسکو معاوضہ ملھتا -

مددو جی نے ایک بات یہ کہی کہ بل مہن آپ نے دکھا ہے اب تو 50 ہزار دیا جائتا - اس کا مطلب یہ ہے 50 ہزار سے کم ہی ملھتا - میں آپکے بتلانا چاہتا ہوں اس کے لئے دول تھاڑ ہو گیا ہے - اور مہن سدن کو بقہن دلانا چاہتا ہوں وہ دول مددو سامنے ہے اور مہن کھلے طوور پر کھلنا چاہتا ہوں - جو شخص درکھتنا مہن مز جائکا یا ہمیشہ کے لئے بھکار ہو جائتا یا ناکارہ ہو جائتا - اس کو 50 ہزار دوہنچہ ملھتا -

एک ماننیاً سادھی : اگر हार्ट केल हो जाय ।

شیری محمد شنی قریبی] - موت

کی تشذیب نہیں کی ہے -

شیخ رام رतن شर्मा (बांदा) : آप 1 لाख کरेंगे یا 50 ہزار کरेंगے - یہ پاس نہیں ہمara ہے، فیر رولج آپ کے پاس کہاں سے آتا گے?

شیخ محمد شنی قریبی] - ہے

کوئی نئی بات نہیں ہے - یہ 1890 کے ایک میں ترمیم ہے - اس مہن ہمارے پاس دول بلائے کی طاقت ہے - وہ طاقت ہم سے چھوٹی نہیں کئی ہے - اس کے تحت ہم نے جو نہیں بلائے ہیں - اس مہن 50 ہزار دوہنچہ بیدی اُدمی مز جائے - ناکارہ ہو جائے اسکو ملھتا - اکر کسی کا دایاں بارو

اور اس کے اوپر کا ہوا حصہ چلا جائے
تو 35 روپیہ - اگر لہجت ملہٹا
دھے تو ہی 35 ہزار روپیہ ملہٹا -
بلیاں بازوں چلا جائے تو 30 ہزار روپیہ
ملہٹا - اگر کسی کی شہادت کی
انکلی چلی چائے تو 5 ہزار روپیہ
اور دوسری انکلیوں کے لئے 2 ہزار
روپیہ ملہٹا - اس طرح سے نہم میں
نہ بلائے ہوں [-]

'Page 1, line 7 for "fifty thousand rupees" substitute—

"one lakh rupees" (3)

The Lok Sabha divided:

Division No. 4]

[16.19 hrs.

AYES

Bade, Shri R. V.
Banerjee, Shri S. M.
Bhagirath Bhanwar, Shri
Bhargavi Thankappan, Shrimati
Chowhan, Shri Bharat Singh
Dandavate, Prof. Madhu
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Gowder, Shri J. Matha
Halder, Shri Krishna Chandra
Jharkhande Rai, Shri
Kachwai, Shri Hukam Chand
Limaye, Shri Madhu
Mavalankar, Shri P. G.
Mohammad Ismail, Shri
Muruganantham, Shri S. A.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Patel, Shri H. M.
Pradhan, Shri Dhan Shah
Ramkanwar, Shri
Sharma, Shri R. R.
Singh, Shri D. N.
Ulaganambi, Shri R. P.
Vijay Pal Singh, Shri

NOES

Aga, Shri Syed Ahmed
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Ahmed, Shri F. A.
Ansari, Shri Ziaur Rahman
Appalanaidu, Shri
Awdhesh Chandra Singh, Shri
Babunath Singh, Shri

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Then amendment No. 3 by Shri R. R. Sharma.

Are you pressing your amendment?

SHRI R. R. SHARMA: I am pressing it.

MR. CHAIRMAN: The question is.

Banerji, Shrimati Mukul	Kotoki, Shri Liladhar
Barman, Shri R. N.	Krishnan, Shri G. V.
Bhargava, Shri Basheshwar Nath	Kulkarni, Shri Raja
Bhatia, Shri Raghunandan Lal	Kureel, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri Chapalendu	Laskar, Shri Nihar
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh	Lutfal Haque, Shri
Chawla, Shri Amar Nath	Maharaj Singh, Shri
Chhutten Lal, Shri	Majhi, Shri Gajadhar
Choudhury Shri Moinul Haque	Majhi, Shri Kumar
Daga, Shri M. C.	Mirdha, Shri Nathu Ram
Darbara Singh, Shri	Mishra, Shri G. S.
Deo, Shri S. N. Singh	Mishra, Shri Jagannath
Dharamgaj Singh, Shri	Modi, Shri Shrikishan
Dhusia, Shri Anant Prasad	Mohammad Yusuf, Shri
Dube, Shri J. P.	Mohapatra, Shri Shyam Sunder
Dumada, Shri L. K	Mohsin, Shri F. H.
Engti, Shri Biren	Muhammed Khuda Bukhsh, Shri
Ganga Devi, Shrimati	Nahata, Shri Amrit
Gautam, Shri C. D.	Naik, Shri B. V.
Gavit, Shri T. H.	Oraon, Shri Tuna
Gill, Shri Mohinder Singh	Palodkar, Shri Manikrao
Gogoi, Shri Tarun	Pandey, Shri Krishan Chandra
Gohain, Shri C. C.	Pandey, Shri Narsinh Narain
Gopal Shri K.	Pandey, Shri Tarkeshwar
Gowda, Shri Pampan	Pandit, Shri S. T.
Hari Singh, Shri	Panigrahi, Shri Chintamani
Ishaque, Shri A. K. M.	Parashar, Prof. Narain Chand
Jamilurrahman, Shri Md.	Partap Singh, Shri
Joshi, Shrimati Subhadra	Patel, Shri Prabhudas
Kadam, Shri J. G.	Patil, Shri Anantrao
Kailas, Dr.	Patnaik, Shri Banamali
Kale, Shri	Peje, Shri S. L.
Kamala Prasad, Shri	Putry, Shri M. S.
Kamble Shri T. D.	Qureshi, Shri Mohd. Shafi
Kapur, Shri Sat Pal	Raghu Ramaiah, Snr. K.
Kaul, Shrimati Sheila	Rajdeo Singh, Shri
Kavde, Shri B. It.	Ram Prakash, Shri
Kedar Nath Singh, Shri	Rameshekhar Prasad Singh, Shri
Kinder Lal, Shri	Rao, Shri M. S. Sanjeevi

Rao, Shri P. Ankineedu Prasada
 Rathia, Shri Umed Singh
 Ravi, Shri Vayalar
 Reddy Shri K. Ramakrishna
 Reddy, Shri M. Ram Gopal
 Richhariya, Dr. Govind Das
 Sadhu Ram, Shri
 Saini, Shri Mulki Raj
 Samanta, Shri S. C.
 Sarkar, Shri Shakti Kumar
 Savant, Shri Shankerrao
 Sethi, Shri Arjun
 Shailani, Shri Chandra
 Shambhu Nath, Shri
 Shankaranand, Shri B.
 Sharma, Shri Nawal Kishore
 Shashi Bhushan, Shri
 Sheonoy, Shri P. R.
 Shinde, Shri Annasaheb P.
 Shivnath Singh, Shri
 Shukla, Shri B. R.
 Suryanarayana, Shri K.
 Thakur, Shri Krishnarao
 Tiwary, Shri D. N.
 Tombi Singh, Shri N.
 Verma, Shri Balgovind
 Verma, Shri Ramsingh Bhai
 Yadav, Shri Karan Singh
 Yadav, Shri R. P.

MR. CHAIRMAN: The result of the division is: Ayes : 28; Noes: 114.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments Nos. 4 and 6 are the same as amendment No. 3. I will put amendment No. 7 to the vote of the House.

Amendment No. 7 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:
 "That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(Amendment of Section 82 J)

SHRI B. R. SHUKLA: I am not moving my amendment.

SHRI R. R. SHARMA: I beg to move:

'Page 1, line 16,—for "more" substitute—"three" '(5)

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment No. 5 to the vote of the House.

Amendment No. 5 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed".

श्री बड़ु लिमरे (वाका) : सभापति महोदय, जिन बातों पर बहस हो चुकी है उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ वैसे मध्यावधि वासी भीर इंशॉरेंस वाली बात है लेकिन भीर की तीन बातें चुम्ब कहना है।

सभय समय पर जो कमेटियों इन दुर्ब-टलाओं की जांच करने के लिये बैठीं उन्होंने तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों की थीं जिनके ऊर

[श्री मधु लिम्बे]

इन्होंने अमल नहीं कि सिफारिश कह थी कि जो रेल होती है अलग, अलग उनको बेल्ड किया जाये ताकि उनको अलग करना या तोड़ना मूर्खिकल हो जाये। बहुत पहले यह सिफारिश आई थी लेकिन अभी तक महत्वः-पूर्ण लाइन्स पर भी इसपर अमल नहीं हुआ है।

दूसरे—मधी ट्रेन पर स्पीडोमीटर लगाने का सुझाव आया था लेकिन अभी तक 40 प्रतिशत ट्रेन्स पर, इंजन्स पर भी यह स्पीडो-मीटर नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं इन दुर्घटनाओं का अनुपात घटाने के लिए इस सिफारिश पर कब्तक अमल करेंगे?

तीसरी सिफारिश यह थी कि गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय इन दोनों में एक सूचीकरण हो लेकिन मुझे लगता है जबतक वर्तमान मंत्री रहेंगे यह तकरीबन असम्भव है क्योंकि श्री उमाशंकर दीक्षित पूरव की ओर देखते हैं तो रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र पश्चिम की ओर देखते हैं।

सभापति भहोदय : इसको हम एलाउ नहीं करेंगे। जब भी आप बोलते हैं तो जो मन में आता है बोल देते हैं।

श्री मधु लिम्बे : यह अनपार्लमेन्टरी नहीं है लेकिन इसका भत्तब यह नहीं है कि जो मन में आवे वह बोलते चले जायें।

सभापति भहोदय : अनपार्लमेन्टरी नहीं है लेकिन इसका भत्तब यह नहीं है कि जो मन में आवे वह बोलते चले जायें।

श्री मधु लिम्बे : मैं आपका बहुत आदर करता हूं और मैं कोई असंसदीय बात नहीं कह रहा हूं। मुझे यह कहने का अधिकार है

जैसे श्री जगजीरा राम जी को यह नहने का अधिकार था कि संविद की सरकार में दिशा में लोग जाते थे; और उस समय किसी ने एतराज नहीं किया।

यहां पर एक पार्टी की सरकार चल रही है और सरकारी कमेटी की सिफारिश है कि गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय में एक सूचीकरण होना चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय मंत्रिमंडल के अन्दर जो रिप्ले हैं उनको चलते इम मिफारिश पर अमल नहीं हो रहा है। इसमें कौन सी अशिष्ट, असंसदीय या गानी-गलौच वाली बात मैंने कही है?

अब इन्होंने यह जो 50 हजार रुपया मुआविजा बढ़ाने का निर्णय किया है—एक लाख की बात तो ई नहीं—लेकिन इन्होंने जो धमकी दे रखी है कि हम सरकार बढ़ायेंगे उसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं बशर्ते कि आप उत्तेजित न हो जायें। आप बुजुर्ग आदमी हैं और आपका मैं बहुत आदर करता हूं।

सभापति भहोदय : मैं भी आपका बहुत आदर करता हूं लेकिन अनर्गल बातें न कीजिये।

श्रीमद् लिम्बे : मैं कभी अनर्गल बात नहीं कहता। यह सरकारी रिपोर्ट है—सेन्ट्रल फैक्टरी ऐड मेजर प्राव्लमस, इंडियन रेलवे, फरवरी 1973। इसमें रेल रोड कार्सिज के बारे में उन्होंने कहा है कि दुर्घटनाओं को बटाने के लिए हमने शिपिंग और ट्रैसपोर्ट मिनिस्ट्री से कहा है कि पांचवीं योजना में रेलों पर पुल बनाने के लिए यानी मोटर ट्रैकिक के 5,12,500 रुपये और ब्रिज कहिये या जो भी कहिये, वह पुल बनाने के लिये 50 करोड़ रुपये की

राशि इस काम के लिए दें दी जाये तो मन्त्री महोदय इस बात का खुलासा करें। पांचवों योजना की रूप-रेखा अब तैयार हो रही है, घर साहब इन दिनों उसमें लगे हुए हैं, क्या 50 करोड़ के बारे में कोई निर्णय हुआ है—इस बारे में भी सदन को जानकारी दें। महत्व-पूर्ण रेल क्रासिंग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आज दो ढाई घण्टे तक फाटक नहीं खुलता है जबकि नियम बना है कि 10-15 मिनट से अधिक फाटक बन्द न रखा जाये हालांकि तीन चार घंटे फाटक नहीं खुलता है। इस लिए रेल के जो.....

सभापति महोदय : देखिये, साढ़े चार बजे दूसरा विषय लिया जायेगा इसलिये इसको ज्यादा न घसीटिये। दो चार मिनट और ले सीजिये।

अध्यक्ष लिख्ये : रेल के जो फाटक होते हैं उनके बारे में इनका कोई आदेश जारी करने चाहिए कि इन्हें समय के बाद फाटक खोला जायेगा।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि मैं सरकार्ज का विरोधी हूँ, मेरी राय में सरकार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई व्यक्तियों की बात नहीं करना चाहता लेकिन जो एक बीमारी है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता है यह जो इनकी रिपोर्ट है उसमें इन्होंने कहा है कि यह जो कोयले के डिब्बों का मूवमेन्ट होता है उसमें बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। स्वतन्त्रता के बाद के मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 1950-51 में जहां रेल के द्वारा 2 करोड़ 2 लाख टन कोयला ढोने का काम किया गया था वहां 1971-72 में

4 करोड़ 87 लाख टन कोयला ढोने का काम किया गया यानी ढाई गुने की वृद्धि हुई है और इसको 117 करोड़ रुपये से भी अधिक की आमदनी अकेले कोयला ढोने से हुई है। इन दिनों मेरे पास लोगों से बहुत सारी—शिकायतें आ रही हैं कि कोयला ढोने के लिये वैगन्स का क्लिम अभाव उत्पन्न किया गया है और जो छोटे छोटे निजी उद्योगों के लोग हैं.....

पब्लिक सैक्टर में जो कोयला दिया जाता जैसे बिजली घर क्योंकि उसमें कोई रिश्वत की गुंजाइश नहीं है इसलिये उसको स्टार्व किया जाता है। पहले क्या होता था? कोयले के राष्ट्रीयकरण के पहले जो खरीदने वाले थे वे रेलवे बांबू वर्गरह को थोड़ा बहुत खिला करके अपना कोयला ढोते थे। यह काम छोटे लोग करते थे और मामूली पैमाने पर होता था। अब कोयला ढोने के काम में एक एक दिन में दो दो और तीन तीन लाख रुपये की रिश्वत चल रही है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आप सभापति महोदय इसी के बेवरमैन हैं। आपको याद होगा कि टैलीफोन के बारे में जब शिकायतें की गई थीं तो इसी ने टैलीफोन की रिपोर्ट में टैलीफोन के बिल कैसे बनाये जाते हैं, साईंज टैप कैसे की जाती हैं, इसका जिक्र किया था। क्या आज हमारी सारी धर्म-ध्यवस्था, ब्रेजनेव या निक्सन, कोई भी हम को कितनी भी भद्र रक्षा न दे उसके सहारे चल सकती है? जब तक हम रेलों को, कोयले के उद्योग को, इस्पात को और बिजली उत्पादन के उद्योग को नहीं सुधारेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। मैं अपनी भार्फत ३० सी० के बेवरमैन को, ३० ए० सी० के बेवरमैन को

[श्री मधु लिम्बे]

और चूंकि कोयले का राष्ट्रीयकरण हो गया है इसलिये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन श्रीमती सुभद्रा जीवी जी को है जो इस समय यहाँ नहीं है, आपकी मार्फत अपील करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे, तो मैं नैतिकता का केवल सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आज उसके भी गम्भीर सवाल व्यवस्था के अस्तित्व का है, उसकी प्रगति का है, इसलिए हम लोगों का जो अभियोग है इनके ऊपर उसकी जांच कर के लिए इ०सी० और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी से इस काम को देखने को कहा जाए। इस रिश्वत को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाय। आप मामूली एक परसेंट भी फेर बढ़ा देंगे तो बोल किस पर आयेगा? रिश्वत में तो पैसा जा ही रहा है, अन्ततोत्तरा अपेक्षे ऊपर ही बोझ पढ़ रहा है, जो रिश्वत देता है वह कंजूमर से बसूल करता है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा कल्पाण हो जायगा और एक लाख रुपये तक भी बढ़ाने की जिक्र आप में अगले साल तक आ जायगी इस मुआवजे की राशि को।

श्री रमाकृष्णाराज शाही : सभापति महोदय, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सरकार आप लगाने जा रही हैं यह जन विरोधी कानून है और इस बास्ते इसका हम घोर विरोध करते हैं। आपको बैता चाहिये, बैता आपको कैटेगरी लियवा और कम्पौनेशन की मदद यदि आप में तो आपको बिल लकता है। हब इससे कई गता कम्पौनेशन को अलगाव से बचवा करके बिल दें।

जो आज भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसमें से बचवा दिला देंगे। लेकिन आप हमारे सुझावों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हर साल हम सुझाव दे रहे हैं अपनी यूनियंज की तरफ से लेकिन आप ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है।

आप ने कहा है कि दुर्बंटनाओं के लिये कर्मचारी लोग अधिकतर दोषी होते हैं। आपने उनकी कठिनाइयों को सुना है। आप खुद लोको रॉनिंग स्टाप से बात कर चुके हैं। लेकिन अभी तक आपने रास्ता नहीं निकाला। मधु जी ने अंत सवाल उठाया। दो दुर्बंटना जांच समितियां बनी शंकर सरन कमेटी और बांधु कमेटी उन्होंने रिपोर्ट दी। दोनों की कितनी सिफारियों थीं और कितनी पर आपने अभी तक अमल किया है। मैं चाहता हूँ कि इस को भी आप बतायें।

क्या यह सच है कि दुर्बंटनाएं रोकने के मिलसिले में इंडियन रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाप एसोसिएशन, आल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, आल इंडिया लोको रॉनिंग स्टाप एसोसिएशन और आल इंडिया सिगनल एंड टैलीकम्प्युनिकेशन एसोसिएशन ने आप के सामने कुछ सुझाव दिए हैं और अगर दिए हैं तो क्या उन पर आपने विचार किया है? मेरा चांज है कि गवर्नरेंट ने और आपने उन पर विचार नहीं किया है।

सही मानों में अगर आप दुर्बंटनाओं को बन्द करना चाहते हैं तो जो मान्यता आप फैइसंज हैं उनकी बातें अपने बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, आज वे सुनिये, मुझे कोई

एतराज नहीं है लेकिन कंटेगरी की और आल हड्डिया रेलवे एम्प्लायीज कनफ्रेशन की बातें भी आप सुनें। मैं चाहता हूँ कि सभी यूनियन ज और एसोसिएशन और फैडेंशंज को आप एक काम्फें बुलाएं जिस में इस पर विचार किया जाएं कि हम इन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो मेरे इस सुझाव को आप स्वीकार करेंगे।

अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं समझूँगा कि आप ईमानदारी से इसको रोकना नहीं चाहते हैं। आप पेंपर टाइगर (भाष्यता प्राप्त फैंडरेंशनों) के चक्रकर में फंसे हुए हैं। यह पौर टाइगर संकट से आपको नहीं निकाल सकेगा, यह मेरा आप से निवेदन है।

श्री मुहम्मद शफी कुरूंशी : दों कमेटियां बनी थीं, एक वांचू कमेटी और दूसरी कुंजरु कमेटी जिन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिया था। जहां तक वांचू कमेटी का ताल्लुक है उसमें 418 सिफारिशें की थीं जिन में से 387 के करीब मान ली गई हैं और बाकी जो हैं उन पर गोर हो रहा है।

जहां तक कोयले का ताल्लुक हैं मैं कहना चाहता हूँ कि कोयले की तकसीम का जहां तक काम है वह जिम्मेदारी रेलवे के महकमे की नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स स्पासर करती हैं और उनकी सिफारिश पर ही रेलवे उन का बेंगंज देती है। कोई भी एक भी ऐसा बाका नहीं दूआ है कि रेलवे ने किसी को कोयला बैगन दिया हो तब तक जब तक स्टेट गवर्नमेंट ने स्पासर न किया हो।

शास्त्री जी ने कहा है कि जो मुख्तिक किस्म की एसोसिएशन हैं दुर्घटनाएं रोकने में उनका काम बढ़ाने की उन्होंने नज़रीज दी है। मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यह है कि अगर ये लोग इस बात को पहचानें कि काम सब से पहले तो बड़ा सुन्दर हो। तब मैं इनके

पांव धोकर पीता अगर ऐसा होता। लेकिन बदलिस्तमती यह है कि आपके समझाने पर और अपके मश्वरे पर ये लोग काम रोक रहे हैं और सारे मुल्क को कड़ा में डाल रखा है इन्होंने। आप कंटेगरी यूनियंज को एनकरेज करना छोड़ दें तो हिन्दुस्तान की तकदीर बदल सकती है।

बाकी इन्होंने जो बातें कहीं उनका मैं जवाब देना नहीं चाहता। वे जवाब देने के काविल नहीं हैं।

[ہری محمد شفی قربشی - دو]

کمہنگاں بلی تھیں - ایک وانچو کمہنگی اور دوسروی سسزو کمہنگی - جنمہن نے اس بات کی طوف نمہاں دلایا تھا - جہاں تک وانچو کمہنگی کا تعلق ہے اس نے 418 سفارشیں کی تھیں جن میں سے 387 کے قریب مان کی گئی تھیں لود باقی جو ہوں ان پر فود ہو رہا ہے -

جہاں تک کوئلے کا تعلق ہے

میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کب تقسیم کا جہاں تک کام ہے وہ ذمہداری دیلوے کے مختکبے کو نہیں ہے - ستھت گورنمنٹس شہابد کوتی ہیں اور ان کی سفارش پر ہو دیلوے انکو دیکن دیتی ہیں - کوئی بھی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ دیلوے نے کسی کو کوئلے کا ویکن دیا ہے تو تب تک جب تک ستھت گورنمنٹ نے سہانسر نہ کیا ہو -

[شروع محدث ڈیشو]

شاستری جی نے کہا ہے کہ جو مختلف قسم کی ایسوسیشنز میں درگھنائیں دوکلے میں ان کا کام بولنا کی انہوں نے تجویز کی ہے۔ مددی سب سے بڑی تعداد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس بات کو پہچانوں کے کام سب سے پہلے تو ہوا سلدر ہو۔ تب میں اسکے پاؤں دھو کر پیٹا اک ایسے اہوتا۔ لہکن بھقستی یہ ہے۔ کہ آپکے سمجھمانے پر اور آپکے مشورہ پر یہ لوگ کام دوکا رہے ہیں اور سارے ملک کو قضا میں قال دکھا ہے انہوں نے۔ آپ کلکھنگی یونیورسٹی کو اینکو یونیورسٹی کرنا چاہیز دیں۔ تو، ہندوستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔

باقی انہوں نے جو باتیں کہوں ان کا ۴۰ جواب دیا نہیں چاہتا۔ وہ جواب دیلے کے قابل نہیں۔ میں [-

MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.38 hrs.

DISCUSSION RE: REORGANISATION OF I.C.A.R.—Contd.

MR. CHAIRMAN: Now we take up further discussion on the statement laid on the Table by the Minister of State for Agriculture on the 12th November, 1973, indicating Government's decisions on the reorganisation of the Indian Council of Agricultural Research in the light of the recommendations of the I.C.A.R. Inquiry Committee.

Mr. H. M. Patel.

SHRI H. M. PATEL (DHANDHUKA): It seems to me that the Government, when they considered the Gajendragadkar Committee's report, had forgotten the circumstances under which this Committee came to be appointed. There was a scientist who, feeling frustrated and disappointed, committed suicide, and that suicide aroused such emotions and feelings in the country that the Government was constrained to appoint this Committee to go into the circumstances that led a scientist of this distinction to commit suicide.

Mr. Chairman, at the request of this House that an independent committee be appointed, Government appointed a really high-power committee consisting of independent persons—an ex-Chief Justice of the Supreme Court, very distinguished scientists and a very experienced administrator—to go into all these matters and submit a report. It was clear, at that time—and the Government themselves admitted—that the conditions in the I.C.A.R., I.A.R.I. etc. were not what they ought to be. Now when the Committee has given its report, the Government finds that they cannot accept its recommendations, and the reasons for not accepting these recommendations have not been given as methodically and as cogently as the Committee has given them. For everyone of its recommendations the committee has given the most persuasive and convincing arguments. It has done so after examining witnesses, after taking oral evidence, after considering the written evidence and after visiting various institutes, and yet the Government consider the report and its recommendations not worthy of consideration at all. It is true that they would say, 'Yes, we have accepted some recommendations.' But then they forget that the committee itself has pointed out that their recommendations form a composite whole, that to take one or two recommendations and to leave some out,